स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–21, अंक–11, कार्तिक–मार्गशीर्ष 2070, नवम्बर 2013

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा–4

भारत के लिए मंगल मिशन की उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रॉकेट, यान और तमाम दूसरे उपकरण सब स्वदेश में ही बने हैं। भारत इस अभियान के साथ ही अमरीका, रूस, जापान और चीन के साथ उन देशों की बिरादरी में शामिल हो जायेगा जिन्हें अंतरिक्ष में खोज की महारत हासिल की है।

कवर पेज

अ नु क्र म

आवरण कथा : मंगल पर भारत के बढ़े कदम
– निरंकार सिंह /4

कृषिः
संकट में खेती : खाद्य सुरक्षा का दंभ
– भारत डोगरा /7

मुद्दाः
आमूलचूल बदलाव की जरूरत
– देविन्दर शर्मा /9

दृष्टिकोणः
दलितों के हाथ से खिसकती जमीन
– डॉ. अश्विनी महाजन /11

विश्लेषणः
हर बार की तरह चीन की दीवाली, भारत का दीवाला
– प्रवीण गुगनानी /14

अर्थव्यवस्थाः
रिजर्व बैंक के बंधे हाथ
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /17

बाजारवादः
आर्थिक उम्मीदों को जमीन चाहिए
– आलोक पुराणिक /19

अभिमतः
अब प्रवासी भारतीयों से बंधती उम्मीदें
– जयंतीलाल भंडारी /21

विमर्शः सरदार पटेल की विरासत
– बलवीर पुंज /26

समस्या : हादसों को रोकने के लिए बनें रणनीति
– उमेश चतुर्वेदी /28

नजरियाः अब नेता नहीं, कानून का राज चलेगा
– डॉ. वेदप्रताप वैदिक /30

पर्यावरणः इस रोक पर रजामंदी जरूरी
– अरुण तिवारी /32

स्वदेशी आंदोलनः
सर्वसमावेशी स्वदेशी (राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी)

पाठकनामा/2, समाचार परिक्रमा/22

पाठकनामा

बिना सरकार बदले हालात नहीं सुधरेंगे

महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार पहले ही हाथ खड़े कर चुकी है, अब तो रिजर्व बैंक ने भी कह दिया है कि जनता को महंगाई से मुक्ति नहीं मिलनी वाली। केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है– बस एक ही रट जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है तो भारत में में कौन सी नई बात हो गई। मुद्दा केवल प्याज का नहीं है,बल्कि सभी चीजों के दाम दनादन बढ़ रहे हैं। अब आलू 50 रुपए किलों बिक रहा है। पहले दाल रोटी दूभर हुई अब सब्जी रोटी पर रोक लग गई जनता खाए तो क्या खाए। कोई सुनने वाला नहीं है। अब तो लगता है कि सरकार बदलेगी तभी हालात सुधरेंगे।

– मनोज कुमार, बाबरपुर एक्सचेंज, दिल्ली

विकास की चिंता किसको है?

विकास की चिंता किसको है। पांच राज्यों के चुनाव को सिंहासन का सेमीफाइनल मानने वाले राज नेता विकास की बात अब नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस इस कोशिश में लगी है कि वह मोदी के चरित्र को दागदार सिद्ध कर चुनाव की बैतरनी पार कर ले। इसलिए विकास के मॉडल की बात करते करते कांग्रेस अब धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता की बहस के जरिए चुनाव कराना चाहती है। कांग्रेस के पास विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। सप्रंग के दस साल के शासन में सिर्फ लूट खसोट और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री, कांग्रेस अध्यक्ष और युवराज सब एक सुर में धर्मनिरपेक्षता का राग अलाप रहे हैं। मुद्दों की बात के बजाय इतिहास और भूगोल की जानकारियां दुरूस्त करने में लगे हैं।

– आयुषी, गाजियाबाद

दिखने लगा असर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा बिहार के प्रसिद्ध तीन नेताओं की संसद सदस्यता रद्द हो गई। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नेताओं में डर बढ़ रहा है और वे अब स्वच्छ राजनीति पर ज्यादा ध्यान देंगे। अब लोगों को न्याय तंत्र पर भरोसा हो रहा है। एक तरफ से देखा जाए यह लोकतंत्र और राजनीति के लिए काफी अच्छा है। लेकिन अभी भी कई राजनीतिक दलों में दागी नेता हैं जिनके ऊपर भी कार्रवायी करनी चाहिए तभी राजनीति को अपराध मुक्त बनाया जा सकता है।

– राजेश कुमार, शाहदरा, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्क: 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

'कांग्रेस ने जहां–जहां पैर रखा है, वहां–वहां के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। कांग्रेस को न तो किसानों की चिंता है न गरीबों की।

– नरेन्द्र मोदी

मिड डे मिल और मनरेगा बंद होने चाहिए ये लोगों को नाकारा बना रहे हैं।

सपा नेता प्रो. राम गोपाल

हम शिवराज सिंह के खिलाफ दमदार कांग्रेस प्रत्याशी उतारने में विफल रहे हैं।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह

पेप्सी नौवजवानों के लिए और कोक बुजुर्गों के लिए शीतल पेय है।

पेप्सिको प्रमुख इंदिरा नुयी

सचिन मेरी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे हैं।

शेनवार्न आस्ट्रेलियाई गेंदबाज

सरताज अजीज को दिल्ली बुलाकर कश्मीरी अलगाववादियों के साथ बातचीत की मंजूरी देकर मनमोहन सिंह की सरकार ने भारी कूटनीतिक भूल की है।

भाजपा नेता राजनाथ सिंह

संपादकीय

जन–विरोधी आर्थिक नीतियों के कारण सत्ताच्युत होगी यूपीए

गोल्डमैन साक्स ने 5 नवंबर को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि –''भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए अगले आम चुनाव में जीत हासिल कर सकता है।'' परिवर्तन की बयार देष में बह रही है यह आम धारणा है लेकिन अभी तक किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने खुलेआम यह नहीं कहा था कि मनमोहन सिंह की सरकार अपनी आर्थिक नीतियों के कारण न केवल घरेलू जनता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भी विष्वास खो चुकी है। हालांकि सत्तारूढ़ दल को यह राय नागवार गुजर रही है, लेकिन यह एक सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। गोल्डमैन साक्स के भारत स्थित मुख्य कार्यकारी अधिकारी बंटी बोहरा ने इस राय पर खेद जताने के बजाय फिर कहा कि इनवेस्टमेंट बैंकर ने किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर अपनी राय नहीं रखी है, बल्कि संपूर्ण बिजनेस समुदाय की यही राय है। यह पहला मौका नहीं है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्तमान सरकार की आलोचना की हो। कई महीने पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और एजेंसियों ने इस सरकार की खामियों का पिटारा खोलना शुरू कर दिया था। याद करिए अभी कुछ महीने पहले ही न्यूयार्क टाइम्स ने प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह को बेअसरदार नेता तक करार दिया था। अपने संपादकीय में न्यूयार्क टाइम्स ने लिखा था – ''बिना किसी अतिरिक्त अधिकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेअसर दिखते हैं। असली सत्ता उनकी राजनीतिक आका सोनिया गांधी के हाथ में है जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी को देष के बिगड़ते आर्थिक हालात की कोई चिंता नहीं है।'' एक दो एजेंसियों या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने ही सिर्फ कांग्रेस सरकार की किरकिरी नहीं की है, बल्कि दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसियों ने, चाहे वह फिच हो या मूडी सबने भारत की साख पर लगातार नकारात्मक टिप्पणियां की है। हर बार सरकार ने उनकी राय को खारिज किया पर स्थिति सुधारने में पूरी तरह विफल रहे। अब हालात यह है कि आठ फीसदी विकास दर वाला हमारा देष पांच फीसदी विकास दर वाला देष बन गया है। विकास को दाँव पर लगाकर यथास्थिति बनाए रखने को वह अपनी सबसे बड़ी सफलता मानते हैं। यही नहीं रिजर्व बैंक भी कुछ करने में असमर्थता जाहिर कर चुका है। सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2013 को जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर माह में एक बार फिर महंगाई की दर लगातार बढ़ती हुई 6.42 प्रतिषत पर पहुंच गयी है। गौरतलब है कि अगस्त माह में यह दर 6.10 प्रतिषत ही थी। हालांकि महंगाई की दर मई माह में घटकर मात्र 4.5 प्रतिषत ही रह गयी थी। पिछले कई महीनों से यह महंगाई की दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। खास बात यह है कि अगर उपभोक्ता कीमत सूचकांक का आधार लें तो यह महंगाई की दर सितंबर माह में 9.84 प्रतिषत तक पहुंच गयी है। महंगाई की दर खाने–पीने की चीजों में और भी ज्यादा है। पिछले दो माह में खाद्य मुद्रास्फीति 18 प्रतिषत दर्ज की गयी, जबकि जुलाई माह में यह 12 प्रतिषत के आसपास ही थी। रिजर्व बैंक का कहना है कि महंगाई की दर सुरक्षित सीमा पाँच प्रतिषत से कहीं ज्यादा बढ़ गयी है। ऐसे हालातों में भी रिजर्व बैंक के गवर्नर भगवान भरोसे बैठे हैं। हाल ही में उन्होंने मीडिया को दिए साक्षात्कार में कहा था – मानूसन अच्छा है। अगले वित्त वर्ष में महंगाई कम होती दिखाई देगी। तभी ब्याज दरों में कमी की संभावना बनेगी।'' जनता त्राहि त्राहि कर रही है। आज के पीड़ित को मानसून का हवाला देकर चुप नहीं कराया जा सकता। जनता के पास अंतिम हथियार के रूप में मत अधिकार है। अगर माहौल नहीं बदलेगा तो सरकार बदलेगी। यही बात अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी समझ में आ रही है। पर सत्तारूढ़ दल इसे समझना नहीं चाहता।

स्वदेशी तकनीक की जय

मंगल पर भारत के बढ़े कदम

भारत के लिए मंगल मिशन की उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रॉकेट, यान और तमाम दूसरे उपकरण सब स्वदेश में ही बने हैं। भारत इस अभियान के साथ ही अमरीका, रूस, जापान और चीन के साथ उन देशों की बिरादरी में शामिल हो जायेगा जिन्हें अंतरिक्ष में खोज की महारत हासिल की है।

■ निरंकार सिंह

अन्तरिक्ष में मंगल यान का सफल प्रक्षेपण करके एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों ने नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। अब तक यह क्षमता अमेरिका, रूस और यूरोप के पास ही थी। हालांकि हमारे इस तरह के अभियान पर कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि जिस देश की एक चौथाई आबादी बेहद गरीबी में गुजर बसर करती हो तो वहां इस तरह के भारी भरकम

खर्च करने वाले प्रयोगों का क्या महत्व हो सकता है? पर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं के होते हुये भी किसी देश की वैज्ञानिक प्रगति पर लगाम नहीं लगायी जा सकती है किन्तु हमारा यह उद्देश्य तो होना ही चाहिए कि हम अपनी इन समस्याओं के समाधान में अन्तरिक्ष मिशन का कितना उपयोग कर पायेंगे। पिछले पचास वर्षो के दौरान भारत ने अन्तरिक्ष, मिसाइलों तथा विविध एयर क्राफ्ट कार्यक्रमों में काफी प्रगति की है। डा. विक्रम साराभाई तथा प्रोफेसर सतीश धवन जैसे स्वप्नद्रष्टाओं ने भारत में अन्तरिक्ष कार्यक्रम की मजबूत नींव रखी। इस आधार पर आज हम विभिन्न देशों के लिए एक मिशन में कई उपग्रहों के प्रक्षेपण में सक्षम हैं। अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसिया अन्तरिक्ष में लोगों को बसाने तथा वहां शहर बनाने की संभावना पर अनुसंधान और परीक्षण कर रही हैं, जहां हजारों पृथ्वीवासी रह पायेंगे। भारत ने भी यदि इस दिशा में कुछ कदम बढ़ाये हैं तो उसकी सराहना की जानी चाहिए।

भारत के लिए मंगल मिशन की उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें रॉकेट, यान और तमाम दूसरे उपकरण सब स्वदेश में ही बने हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से जीएसएलवी रॉकेट की नाकामयाबी की वजह से इस मिशन में इसरो ने पीएसएलवी का इस्तेमाल किया है। मगर जीएसएलवी बड़ा व ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस मिशन में पीएसएलवी का इस्तेमाल करने से मंगलयान को मंगल के रास्ते पर भेजने में 20 दिन का समय लग जायेगा। 1,350 किलो वजनी इस अंतरिक्ष यान (लिक्विड एपोजी मोटर यानी लैम को मिलाकर) को पीएसएलवी–सी 25 रॉकेट लेकर गया है, जो अपनी श्रेणी में एक्सट्रा लार्ज किस्म का वेरिएंट है। यह रॉकेट पहले इस यान को पृथ्वी की कक्षा में पहुँचाएगा और फिर वहां से लैम मोटर को 6 बार दागकर 20 दिन में इसे और भी ऊपर की ओर उठाकर मंगल के रास्ते पर भेज देगा। उसके बाद यान 9 महीने से कुछ ज्यादा समय यानि करीब 300 दिन के सफर पर मंगल के लिए रवाना होगा। अगले साल 22 सितम्बर को इस यान के मंगल की कक्षा में पहुँचने की संभावना है। इसरो के इतिहास में यह किसी यान का अब तक का सबसे लंबा सफर होगा।

यह यान मंगल ग्रह पर नहीं उतरेगा,

बल्कि उसकी कक्षा में घूमते हुए ही उसके बारे में अध्ययन करेगा। इसकी कक्षा 375 किलोमीटर गुणा 80,000 किलोमीटर दूरी की होगी। यानि जब यह यान मंगल के सबसे नजदीक होगा तो इसकी दूरी 375 किमी होगी। मंगलयान यानि मैवेन इसी कक्षा में रहकर हर तरह के वैज्ञानिक शोध को पूरा करेगा, इस काम को अंजाम देने के लिए यान में 5 उपकरण लगे हैं– अल्फा, फोटोमीटर, मीथेन सेंसर, मैक्स एक्जोसफेरिक कंपोजिशन एनेलाइजर, कलर कैमरा और थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर ये सारे उपकरण स्वदेशी हैं और अहमदाबाद, बंगलुरू और तिरूवनंतपुरम के केन्द्रों में बनाए गये हैं। यह यान मंगल के अपने रास्ते में चांद के ऊपर से गुजरते हुए पृथ्वी व चन्द्रमा और फिर मंगल की सतह की तस्वीरें खींचेगा। इसरो के इस मिशन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मंगल पर मीथेन गैस की मौजूदगी के संकेत ढूंढना भी है।

जिस देश की एक चौथाई आबादी बेहद गरीबी में गुजर बसर करती हो तो वहां इस तरह के भारी भरकम खर्च करने वाले प्रयोगों का क्या महत्व हो सकता है? पर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं के होते हुये भी किसी देश की वैज्ञानिक प्रगति पर लगाम नहीं लगायी जा सकती है किन्तु हमारा यह उद्देश्य तो होना ही चाहिए कि हम अपनी इन समस्याओं के समाधान में अन्तरिक्ष मिशन का कितना उपयोग कर पायेंगे।

दुनिया भर के जीव विज्ञानियों का मानना है कि किसी भी ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए मीथेन एक बुनियादी आधार है। इस लिहाज से अगर मीथेन गैस होने के संकेत मिलते हैं तो यह पड़ताल जरूर की जा सकती है कि क्या मंगल पर कभी जीवन था या फिर कभी भविष्य में इसकी संभावना हो सकती है।

इस अभियान का मुख्य मकसद भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का आंकलन

विलासिता नहीं आवश्यकता है मंगल अभियान

■ **डॉ. अश्विनी महाजन**

भारत की अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। भारत अनेकों बार पी.एस.एल.वी. के द्वारा भारतीय ही नहीं दुनिया भर के अनेक देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करवा चुका है। अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति के माध्यम से आज भारत सूचना प्रौद्योगिकी, मौसम की सूचनायें ही नहीं, धरती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र करवाने के कारण दुनिया भर के देशों को सेवायें प्रदान कर रहा है। आज अपने उपग्रहों के माध्यम से, भारत दुनिया की सबसे बड़ी संचार प्रणाली होने का गौरव भी रखता है। दुनिया के कई मुल्कों को संचार सुविधायें भारत द्वारा ही प्रदान की जा रही हैं। हाल ही में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और देश के अनेक हिस्सों में आये तूफान के बावजूद हम लाखों जीवन और संपत्ति बचाने में इसलिए कामयाब हो सके क्योंकि हमारे उपग्रहों ने यह पता लगा लिया कि एक भारी तूफान उड़ीसा की ओर जा रहा है।

ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम के आलोचक शायद आंकड़ों को भली–भांति देख नही पा रहे हैं। **गौरतलब है कि भारत के इस मंगल अभियान में मात्र 450 करोड़ रूपए खर्च होने वाले हैं। यह राशि दिल्ली में बनने वाले अधिकतर फ्लाई ओवरों में से किसी एक फ्लाई ओवर की लागत से भी कम है। पश्चिमी दिल्ली की बाहरी रिंग रोड पर सड़क को लाल बत्ती सिग्नल मुक्त बनाने हेतु फ्लाई ओवरों की एक शृंखला निर्मित की जा रही है, जिसपर 3000 करोड़ रूपए खर्च होने वाले हैं। यानि भारत के मंगल अभियान पर इसका छठवां हिस्सा भी खर्च नहीं हो रहा है।**

भारत द्वारा इतनी कम लागत पर इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद यह आशाएं और बलबती हुई हैं कि भारत अंतरिक्ष अभियान में नई ऊचाईयां छू पायेगा।

वास्तव में भारत का अंतरिक्ष अभियान भारत के लोगों के लिए ही नहीं, दुनिया भर के गरीब मुल्कों के लोगों के लिए सस्ती संचार व्यवस्था, भूर्गभीय जानकारियां और मौसम संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराने वाला है।

करना है कि क्या अंतरिक्ष में कदम बढ़ाता यह देश दूसरे ग्रहों पर अभियान के संचालन में सक्षम है। यह अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह के मौसम और सतह के बारे में वैज्ञानिक जानकारी भी जुटाएगा। मंगल यान का प्रक्षेपण 28 अक्टूबर को प्रस्तावित था लेकिन प्रशान्त महासागर में खराब मौसम के कारण अधिकारियों ने इसका प्रक्षेपण 5 नवम्बर को किया। अब इसकी सफलता से हमारा देश अमरीका, यूरोप और रूस के बाद मंगल पर यान भेजने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। चन्द्रमा पर पहुँचने के बाद अब भारत के लोग चीन को पीछे छोड़ते हुये लाल ग्रह तक पहुँचने की संभावना से काफी उत्साहित हैं। इस अभियान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पिछले साल अगस्त में लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान की थी। लाल किले की प्राचीर से कही गई हर बात राष्ट्रीय गर्व से ओत प्रोत होती है और इस अभियान के साथ राष्ट्रीय गर्व बेहद मुखर रूप से जुड़ा हुआ है।

मंगल यान को बेंगलूर की एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला में बनाया गया है। इससे पहले 2011 में चीन ने यिंगहू–1 नाम के अंतरिक्ष यान के मंगल पर भेजने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के चलते यह अभियान विफल हो गया। इसके बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगलयान नाम से अपने मंगल अभियान को तेजी से आगे बढ़ाया और महज 15 महीनों के बाद इसका प्रक्षेपण किया गया।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम 30 वर्षो से अधिक पुराना है। फिलहाल उसकी प्राथमिकता ऐसी तकनीक के विकास की थी, जिससे देश की गरीब आबादी को सीधे मदद मिल सके। इसमें उपग्रहों के जरिये दूरसंचार क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का विकास और मौसम की निगरानी शामिल है। लेकिन इसरो ने 2008 में अंतरिक्ष में नई खोजों के लिये उपग्रहों के निर्माण और उनके प्रक्षेपण की दुर्जेय क्षमता हासिल कर ली और चंद्रयान–1 के नाम से अपना चंद्र अभियान पूरा किया। इस चन्द्र मिशन की लागत 5.5 करोड़ पाउंड से अधिक थी।

सरकार मंगल अभियान के लिए छह करोड़ पाउंड से अधिक खर्च कर चुकी है। अंतरिक्ष अभियान को लेकर सरकार के रूख में आये इस बदलाव पर कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं। उनका कहना है कि इस धन का इससे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस छह करोड़ पाउंड से आप भारत में गरीबों की जिंदगी बिता रहे 40 करोड़ लोगों को गरीबी से उबार नहीं सकते हैं। पर अंतरिक्ष में खोज की ओर झुकाव इससे जुड़े आर्थिक लाभ के अनुमानों के चलते हैं। खोज कार्यक्रम के लक्ष्य काफी ऊंचे हैं। अगर दुनिया के सामने हम एक बार यह साबित कर सके कि उनमें दूसरे ग्रहों तक अंतरिक्ष यान भेजने की क्षमता है तो वे वैज्ञानिक संगठनों को अपने प्रक्षेपण यान पर उपलब्ध स्थान बेच सकते हैं। इस अभियान के साथ ही भारत उन देशों की बिरादरी में शामिल हो जायेगा जिन्हें अंतरिक्ष में खोज की महारत हासिल है।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने उल्लेखनीय प्रगति की है। अंतरिक्ष में खोज के लिए किये जा रहे निवेश से देश के गरीबों को फायदा मिल सकता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहित नई तकनीकों में निवेश भारत जैसी अर्थव्यवस्था वाले देशों की आकांक्षाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह की गरीबी वाले देश में ऐसी उत्कृष्ट तकनीक का विकास एक सरलीकृत विरोधाभास नहीं है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के फायदों का सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन लाभों के जरिए गरीबी से उबरने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उम्मीद कायम करने की कोशिश की जाय। चीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन (सीएनएसए) के पास अच्छी तरह से विकसित यात्रा का कार्यक्रम है। सीएनएसए इस साल दिसम्बर में चंद्रमा पर चैंग–3 नाम से अंतरिक्ष यान भेजेगा, जिसके साथ एक रोवर जुड़ा होगा। चीन ने चंद्रमा पर अधिक संख्या में रोबेटिक जांच अभियान भेजने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इसके साथ ही चीन मंगल पर भी उपग्रह भेजने की तैयारी कर रहा है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा भी इस क्षेत्र की एक बड़ी ताकत है। यह एशिया की सबसे अधिक अनुभवी अंतरिक्ष एजेंसी है और उसे कई मानवरहित अंतरग्रहीय अंतरिक्ष अभियानों का अनुभव हासिल है। भारत, चीन और जापान निश्चित रूप से एक दूसरे पर नज़र गड़ाए हुए हैं। इस प्रतिस्पर्द्धा के बढ़ने के साथ ही अंतरिक्ष खोज की दिशा में नये सिरे से उछाल आने की उम्मीद है। ऐसे में हो सकता है कि अंतरिक्ष में चहलकदमी की कोशिशों में लगे एशियाई देश मिलकर किसी अभियान की शुरूआत करें। इसके बाद संभव है कि मंगल पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए वास्तविक वैश्विक अभियान की रूपरेखा तैयार हो सके।❑

कृषि

संकट में खेती : खाद्य सुरक्षा का दंभ

सरकारी नीतियों ने कृषि तकनीक को इस ओर मोड़ा है, जिससे किसानों के खर्च बहुत तेजी से बढ़े हैं। इस कारण किसानों को कर्ज अधिक लेना पड़ता है। कर्ज बढ़ने के कारण अनेक छोटे व मध्यम किसानों की जमीन कम हो रही है या छिन रही है।

■ भारत डोगरा

गत बीते दिनों खाद्य सुरक्षा पर इन दिनों अधिकांश चर्चा खाद्य सुरक्षा के कानून के संदर्भ में हो रही है जिसके माध्यम से अधिक लोगों तक सस्ते खाद्यान्न का लाभ पहुंचाना है। यह कौन नहीं चाहेगा कि देश के ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को अनाज इस कीमत पर उपलब्ध हो कि वे भरपेट खा सकें। पर इसके साथ खाद्य सुरक्षा के अन्य महत्वपूर्ण पक्षों की ओर ध्यान देना होगा, जिनके संदर्भ में हमारी स्थिति कमजोर हो रही है। खाद्य सुरक्षा कानून के समर्थकों ने बार–बार कहा है कि देश के गोदामों में बहुत अतिरिक्त अनाज उपलब्ध है जिसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना चाहिए। इस मांग का औचित्य तो स्पष्ट है, पर इतना स्पष्ट नहीं है कि खाद्यान्नों की प्रचुर उपलब्धि की यह स्थिति कब तक बनी रहेगी, क्योंकि खेती–किसानी का संकट निरंतर बढ़ रहा है। अब तो देश के बड़े कृषि क्षेत्र में यह साफ दिखाई दे रहा है कि खेतों की मिट्टी का प्राकृतिक उपजाऊपन कई वर्षो से कम हो रहा है। यह रासायनिक खादों व कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि तरह–तरह की जहरीली दवाओं के अंधाधुंध उपयोग व भारी मशीनों के बढ़ते उपयोग के कारण हुआ है। अनेक मित्र कीट–पतंगे, पक्षी व अन्य जीव इस वजह से व अन्य कारणों से तेजी से कम हुए हैं। गांवों में वृक्ष व हरियाली कम होने के कारण भू–क्षरण का खतरा बढ़ रहा है।

कृषि भूमि के एक बड़े क्षेत्र में भूजल स्तर तेजी से गिरा है जिससे भविष्य में सिंचाई संभावना कम हुई है। साथ में सरकारी नीतियां भी इस तरह की रही हैं कि महंगे तौर–तरीकों पर किसानों की निर्भरता बढ़ती रही है जबकि स्थानीय संसाधनों पर आधारित उनकी आत्मनिर्भरता नष्ट होती जा रही है। जहां कुछ दशक पहले तक किसान बीजों के मामले में आत्मनिर्भर थे और बाहरी बीज पर खर्च किए बिना ही विविध तरह की फसलें और उनकी बहुत–सी किस्में उगाते थे, आज किसान बाजार के महंगे बीजों पर अत्यधिक निर्भर हो चुके हैं। खेती को टिकाऊ व सस्ता बनाने वाला अन्य

देश के बड़े कृषि क्षेत्र में यह साफ दिखाई दे रहा है कि खेतों की मिट्टी का प्राकृतिक उपजाऊपन कई वर्षो से कम हो रहा है। यह रासायनिक खादों व कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि तरह–तरह की जहरीली दवाओं के अंधाधुंध उपयोग व भारी मशीनों के बढ़ते उपयोग के कारण हुआ है। अनेक मित्र कीट–पतंगे, पक्षी व अन्य जीव इस वजह से व अन्य कारणों से तेजी से कम हुए हैं। गांवों में वृक्ष व हरियाली कम होने के कारण भू–क्षरण का खतरा बढ़ रहा है।

परंपरागत ज्ञान भी तेजी से कम हुआ है क्योंकि एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को पहले जैसे परंपरागत ज्ञान दिया जाता था वह प्रवृत्ति तेजी से कम हुई है। सरकारी नीतियों ने परंपरागत बीजों व समझ को नकारा है व नई पीढ़ी की खेती, विशेषकर परंपरागत खेती में रुचि तेजी से कम हुई है। सरकारी नीतियों ने कृषि तकनीक को इस ओर मोड़ा है जिससे किसानों के खर्च बहुत तेजी से बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। इस कारण किसानों को कर्ज अधिक लेना पड़ता है जो प्रायः ऊंचे ब्याज पर ही लेना पड़ता है। कर्ज बढ़ने के कारण अनेक छोटे व मध्यम किसानों की जमीन कम हो रही है या छिन रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न परियोजनाओं व शहरों के प्रसार के लिए उपजाऊ कृषि भूमि बहुत बड़े पैमाने पर ली गई है। जिससे कृषि भूमि या क्षेत्रफल कम हुआ है।

अनेक किसान अब भूमिहीन हो गए हैं या उनके पास भूमि नहीं के बराबर है, जबकि कृषि के मशीनीकरण के कारण अनेक कृषि मजदूर भी अपनी आजीविका से वंचित हो चुके हैं या उन्हें कृषि में रोजगार पहले से बहुत कम मिलता है।

दूसरे शब्दों में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जो पहले अपनी भूमि या अपने श्रम से परिवार के गुजारे लायक अनाज व अन्य खाद्य प्राप्त कर लेते थे। वे अब ऐसा करने में असमर्थ हैं। यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। भूमि कम रहने पर पशुपालन से जोड़कर आजीविका का स्रोत बनाए रखने का प्रयास भी बहुत सफल नहीं हुआ क्योंकि पशुधन, चरागाह, खली की उपलब्धता में कमी आई है व दुग्ध उत्पादनों के आयात की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इस स्थिति में बहुपक्षीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा व किसान की सुरक्षा सुधारने की जरूरत है।

केवल सस्ता अनाज अधिक लोगों को देने का कानून ही बनाया गया तो कुछ समय बाद यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि सस्ते अनाज के वितरण के लिए पर्याप्त अनाज देश में उपलब्ध न हो।

दूसरे शब्दों में, एक बार फिर अनाज के आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। मजबूरी की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय बाजार से जीएम खाद्यान्न भी खरीदना पड़ सकता है जबकि यह स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। निर्भरता की स्थिति में भारत पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इसके लिए दबाव और बढ़ सकता है कि उनके द्वारा नियंत्रित ऐसी तकनीकों और फसलों को यहां अपनाया जाए, जो हमारी खाद्य व कृषि सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक होगा। यदि बहुपक्षीय सुधार किए बिना केवल सस्ते खाद्य की अधिक उपलब्धि पर ही अधिक जोर दिया गया तो विशेष स्थितियों में स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल असर भी पड़ सकता है और इस कारण आज नहीं तो कल देश का खाद्यान्न उत्पादन कम हो सकता है।

यह आशंका इस कारण और बढ़ जाती है कि इस समय देश में किसानों से अनाज की सरकारी खरीद कुछ राज्यों और क्षेत्रों में अधिक केंद्रित है जबकि अनेक अन्य स्थानों में यह खरीद बहुत कम है। अनेक क्षेत्र आज भी अपनी जरूरतों के मुताबिक खाद्यान्न उत्पादन में सक्षम नहीं हैं। इस स्थिति में यह आवश्यक है कि अनाजों व सभी तरह की जरूरी खाद्य सामग्री का उत्पादन पर्यावरण रक्षा सम्मत, आत्मनिर्भर व सस्ते तौर–तरीकों से बढ़ाने को उच्चतम प्राथमिकता राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह से दी जाए कि छोटे किसानों व पिछड़े क्षेत्रों को बेहतर अवसर मिलें। तिलहन व दलहन जैसे महत्वपूर्ण खाद्यों में तो हम आज भी आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उचित नीतियों से यह कमी दूर हो सकती है। पिछड़े माने जा रहे क्षेत्रों में यह संभावना और भी अधिक है। जहां तक संभव है सभी ग्रामीण क्षेत्रों के जिलों में यह प्रयास होना चाहिए कि वे प्रमुख खाद्यों में यथासंभव आत्मनिर्भर बनें।

किसी ग्रामीण जिले व पास के शहरी क्षेत्र की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनवाड़ी, मिड–डे मील आदि के लिए अनाज, दलहन, तिलहन आदि सरकार को यथासंभव उस जिले से ही न्यायसंगत कीमत देकर खरीदना चाहिए। इससे पिछड़े क्षेत्रों में भी किसानों को अच्छा बाजार मिलेगा और दूर–दूर से अनाज मंगवाने पर होने वाला खर्च बच जाएगा। छोटे किसानों के हितों के अनुकूल सरकारी नीतियां अपनाई जानी चाहिए जिससे उनकी महंगी तकनीक व कर्ज के बोझ से रक्षा हो।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को कुछ भूमि उपलब्ध करवाकर उनकी आजीविका व खाद्य सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए, साथ ही अधिक रोजगार छीनने वाले मशीनीकरण को भी नियंत्रित करना चाहिए।

कृषि विकास के तौर–तरीके पर्यावरण रक्षा के अनुकूल होने चाहिए ताकि वे दीर्घकालीन स्तर पर टिकाऊ हों। इस तरह के बहुपक्षीय प्रयासों से खेती–किसानी की भी रक्षा होगी व खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। ❑

आमूलचूल बदलाव की जरूरत

भुखमरी केवल भोजन की अनुपलब्धता का मसला नहीं है, यह हमारी नीतियों की भी परिणति है। हालांकि जरूरतमंदों को खाद्यान्न मुहैया कराने में असफल रहने का हम बहुत संताप कर चुके हैं। मैं इसे इस समस्या की मूल वजह नहीं मानता हूं। जिस खाद्य कूपन प्रणाली से अमेरिका जैसा देश अपने भूखों की क्षुधा शांत करने में असफल रहा है। उसी प्रणाली को अपनाकर भारत तंत्र को दुरुस्त करने और भ्रष्टाचार के खात्मे का सपना संजोए हुए है। अब यह समझना जरूरी है कि हर महीने लोगों को एक निश्चित मात्रा में अनाज मुहैया कराकर भुखमरी को नहीं दूर किया जा सकता है।

■ देविन्दर शर्मा

अजीब विडंबना है। भुखमरी सूचकांक पर 63वें स्थान पर मौजूद देश को भूखे पेट विकासशील अर्थव्यवस्था वाली उपाधि से नवाजा जा सकता है। दरअसल सदिच्छा के साथ नर्क का रास्ता प्रशस्त किया गया है। भुखमरी केवल भोजन की अनुपलब्धता का मसला नहीं है, यह हमारी नीतियों की भी परिणति है। हालांकि जरूरतमंदों को खाद्यान्न मुहैया कराने में असफल रहने का हम बहुत संताप कर चुके हैं। मैं इसे इस समस्या की मूल वजह नहीं मानता हूं। जिस खाद्य कूपन प्रणाली से अमेरिका जैसा देश अपने भूखों की क्षुधा शांत करने में असफल रहा है। उसी प्रणाली को अपनाकर भारत तंत्र को दुरुस्त करने और भ्रष्टाचार के खात्मे का सपना संजोए हुए है। अब यह समझना जरूरी है कि हर महीने लोगों को एक निश्चित मात्रा में अनाज मुहैया कराकर भुखमरी को नहीं दूर किया जा सकता है।

भुखमरी को दूर करने को लेकर हमारे दृष्टिकोण में कुछ भयानक विसंगति है। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और बाल एवं महिला कल्याण मंत्रालयों द्वारा 22 राष्ट्रीय स्कीमें और कार्यक्रम इसके उन्मूलन को लेकर चलाए जा रहे हैं, फिर भी स्थिति संभलने की बजाय बढ़ रही है। पहले से ही चल रहे ऐसे प्रभावी कार्यक्रमों और हर साल उनके मद में किए जाने खर्चों में बढ़ोतरी के बावजूद गरीब भुखमरी की चपेट में हैं। इसलिए कुछ और ऐसी ही योजनाओं की शुरुआत निश्चित रूप से भूखे लोगों का भला करने वाली नहीं साबित हो सकती है।

भुखमरी के खात्मे के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा मुहैया कराए जाने वाले राशन से कुछ ज्यादा किए जाने की जरूरत है। हमें इसके संरचनात्मक कारणों को खत्म करना होगा जो इसका चेहरा और बिगाड़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं।

भुखमरी के खात्मे के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा मुहैया कराए जाने वाले राशन से कुछ ज्यादा किए जाने की जरूरत है। हमें इसके संरचनात्मक कारणों को खत्म करना होगा जो इसका चेहरा और बिगाड़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। हमें अपने बुजुर्गों की बातों को नहीं भूलना चाहिए जो कहते थे कि

''यदि आप किसी एक आदमी को एक दिन भोजन कराना चाहते हो तो उसे मछली दो लेकिन अगर किसी को जीवनभर भोजन कराना चाहते हो तो उसे मछली पकड़ना सिखाओ।''

यहीं पर हम विफल रहे हैं। प्रत्येक परिवार को प्रति माह 25 किग्रा अनाज देकर हम उन गरीब और भूखों को भुखमरी से लड़ने में आत्मनिर्भर नहीं बना रहे हैं। यहीं पर समस्या से निपटने को लेकर हमारे दृष्टिकोण में मूल रूप से बदलाव की जरूरत है। जब तक खाद्य सुरक्षा कृषि से नहीं जुड़ेगी और जब तक खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ग्रामीण विकास, जल प्रबंधन और विज्ञान व तकनीक से संबंधित नीतियां नहीं अपनाई जाएंगी, भुखमरी को इतिहास नहीं बनाया जा सकेगा।

एक खास कार्ययोजना के द्वारा ब्राजील 2015 तक भुखमरी को खत्म करने जा रहा है। अब समय आ चुका है। भारत को भी शून्य भुखमरी कार्यक्रम को प्रतिपादित करना चाहिए। यह केवल अलग दृष्टिकोण अपनाकर ही संभव है। हमें इसमें कोई कारण नहीं समझ में आता कि गांव में किसी को क्यों भूखे रहना पड़ रहा है, जहां साल दर साल देश के लिए पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर सामुदायिक खाद्य अनाज बैंक स्कीम को अपनाकर हमारे 6.5 लाख गांव खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं।

मैं ऐसे सौ से ज्यादा गांवों को जानता हूं जहां ऐसी ही योजना के बूते भुखमरी को पूरी तरह से खत्म करने में मदद मिली है। केवल जल संरक्षण से ही महाराष्ट्र की हिब्रे बाजार एक सूखाग्रस्त गांव से आज एक चमकते बाजार केंद्र में

एक खास कार्ययोजना के द्वारा ब्राजील 2015 तक भुखमरी को खत्म करने जा रहा है। अब समय आ चुका है। भारत को भी शून्य भुखमरी कार्यक्रम को प्रतिपादित करना चाहिए। यह केवल अलग दृष्टिकोण अपनाकर ही संभव है। हमें इसमें कोई कारण नहीं समझ में आता कि गांव में किसी को क्यों भूखे रहना पड़ रहा है...

तब्दील हो चुका है। आज अकेले इस गांव में 60 करोड़पति पैदा हो चुके हैं।

ऐसी व्यवस्था में स्थानीय उत्पादन, स्थानीय भंडारण और स्थानीय वितरण होता है। यह केवल तभी संभव है जब गांव के समुदायों को वहां की जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण हासिल होता है।

महाशक्ति और भुखमरी

भुखमरी ने अमेरिका में 24 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चार में से एक आदमी गरीब और सात में से एक व्यक्ति भूखे पेट सोने को बेबस है। करीब 32 करोड़ की आबादी में यहां 4.7 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। अटलांटिक

सबसे चकित करने वाली बात यह है कि भारत में लागू नए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत यहां प्रत्येक व्यक्ति को सालाना 60 किग्रा अनाज मुहैया कराए जाने का प्रावधान है जबकि अमेरिका डेयरी उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य समेत लोगों को 358 किग्रा खाद्यान्न मुहैया करा रहा है।

महासागर से सटे हुए समृद्ध यूरोपीय संघ में 12 करोड़ लोग भुखमरी से जूझ रहे हैं। सबसे चकित करने वाली बात यह है कि भारत में लागू नए खाद्य सुरक्षा कानून के तहत यहां प्रत्येक व्यक्ति को सालाना 60 किग्रा अनाज मुहैया कराए जाने का प्रावधान है जबकि अमेरिका डेयरी उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य समेत लोगों को 358 किग्रा खाद्यान्न मुहैया करा रहा है।

शून्य भुखमरी के लिए प्रस्तावित छह सूत्रीय कार्यक्रम

- किसी भी कृषि योग्य जमीन का गैर कृषि वाले उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- कृषि को टिकाऊपन के आधार पर पुनर्जीवित करने की जरूरत है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य को शामिल करते हुए किसानों को हर महीने एक निश्चित आय मुहैया कराया जाना चाहिए। गरीब परिवार के लिए छोटे ऋणों पर कम ब्याज दर वसूली जानी चाहिए।
- अंत्योदय परिवारों को छोड़कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भंग कर देना चाहिए। इसके स्थान पर बिहार और पूर्वी भारत के गांवों में चलाए जा रहे परंपरागत खाद्यान्न बैंकों की प्रणाली अपनायी जाए।
- खाद्यान्न निर्यात की अनुमति तभी दी जाए जब देश के सभी लोगों का पर्याप्त रूप से पेट भरा हुआ हो।
- मुक्त व्यापार समझौतों समेत अंतरराष्ट्रीय व्यापार को घरेलू कृषि और खाद्य सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। खाद्यान्न का आयात बेरोजगारी के आयात जैसा होता है। ❑

दलितों के हाथ से खिसकती जमीन

विषय केवल दलितों का ही नहीं है, बल्कि सभी गरीब और छोटे किसान अपनी जमीन खो रहे हैं, छोटा धंधा जैसे दुकान, छोटा उद्योग चलाने वाले और अन्य प्रकार के स्वरोजगारयुक्त लोग स्वरोगार से बाहर होते हुए आकस्मिक श्रमिक बनते जा रहे हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के 66वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004–05 से 2009–10 के मात्र 5 वर्षों में ही 250 लाख लोग स्वरोजगार से बाहर हुए और आकस्मिक श्रमिकों की संख्या में 220 लाख लोगों की बढ़ोतरी हो गई।

■ डॉ. अश्विनी महाजन

सभी राजनैतिक दल गरीबों के मसीहा दिखने का प्रयास करते हैं। सभी के हृदय में आम आदमी बसने का दावा किया जाता है। गरीबों और उनमें से भी विशेषतौर पर दलितों और पिछड़ों का उत्थान करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य बतलाया जाता है। गरीबों, पिछड़ों और दलितों के लिए विभिन्न प्रकार के तोहफों से सजी नीतियों भी परोसी जाती हैं। चाहे

आंकड़ों की बाजीगरी से ही हो, यह भी बतलाने का प्रयास होता है कि उनका शासन के परिणाम स्वरूप गरीबों की आमदनी भी बढ़ी और गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वालों की संख्या भी घटी। वोट बटोरने की खातिर आरक्षण का समर्थन होता है। कहा जाता है कि सरकारी नौकरियों में उन्हें भरपूर मौका मिलेगा, सरकारी कालेजों में भी दाखिला मिलेगा।

दलितों की खिसकती जमीन

लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनगणना (2011) के ताजा आंकड़े तो कुछ अलग ही बयान कर रहे हैं। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2001 में अनुसूचित जनजाति के 44.7 प्रतिशत लोग अपनी जमीन पर करने वाले किसान की श्रेणी में थे, जो घट कर 2011 में मात्र 34.5 प्रतिशत रह गए। जबकि अनुसूचित जाति के 20 प्रतिशत लोग 2001 में किसान थे, जो घटकर 14.8 प्रतिशत ही रह गए। एक दूसरा आंकड़ा जो इसी से संबंधित है, वह है इन वर्गों के वे लोग जो अपनी जमीन पर नहीं, बल्कि दूसरों की जमीन पर काम करते हैं, (यानि भूमिहीन खेतीहर मजदूर) वे 2001 में 36.9 प्रतिशत से बढ़कर 44.5 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के वर्ग में 45.6 प्रतिशत से बढ़कर 45.9 प्रतिशत हो गए।

जनजातीय वर्ग में मात्र 10 वर्षों में इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का मालिकाना हक वाले किसानों का भूमि से वंचित होना वास्तव में चिंता का विषय है, यह बात स्वयं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रणव सेन स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार गंभीर चिंता का विषय यह है कि जनजातीय वर्ग के लोगों की भूमि तो सामूहिक भूमि होती है, उसे खोना वास्तव

दलित अब न केवल अपनी भूमि से बेदखल हो रहे हैं और अपने परंपरागत काम धंधों से भी बाहर होते जा रहे हैं, बल्कि इन वर्गों में महिलाओं की भागीदारी भी खासी घटी है। गौरतलब है कि 2001 में अनुसूचित जाति की 29.4 प्रतिशत महिलायें काम करती थी, अब वे मात्र 28.3 प्रतिशत ही रह गयी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी यह संख्या 44.8 प्रतिशत से घटकर 43.5 प्रतिशत रह गया है।

में 'रहस्यमय' है।

जनजातीय और अनुसूचित जाति के लोगों में इस प्रकार आर्थिक क्षरण उदारीकरण के दौर में गरीबों की हालत में सुधार के दावों की पोल खोल रहा है। सरकार यह कहकर संतुष्ट हो सकती है कि अब अनुसूचित जाति–जनजातीय लोगों में साक्षरता तो बढ़ रही है और विशेषतौर पर महिलाओं में। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग में साक्षरता पिछले दशक में 54.7 प्रतिशत से बढ़कर 66.1 प्रतिशत तक पहुंच गयी। अनुसूचित जनजाति वर्ग में साक्षरता 47.1 प्रतिशत से बढ़कर 59.0 प्रतिशत तक पहुंची। लेकिन गौरतलब है कि यह राष्ट्रीय औसत से 73.0 प्रतिशत से अभी भी बहुत कम है।

गिरता रोजगार का स्तर

जनगणना के आंकड़ें बताते हैं कि इन वर्गों के लोगों में केवल जमीन की मलकियत का ही क्षरण नहीं हुआ है, उनका रोजगार का स्तर भी घटा है। रोजगार में स्थायित्व का भी क्षरण हुआ है। ऐसे लोग जिनको साल में कम से कम 6 महीने लगातार काम करने का मौका मिलता हो, ऐसे लोगों की संख्या अनुसूचित जाति–जनजाति में जो 2001 में क्रमशः 73 प्रतिशत और 69 प्रतिशत थी अब घटकर 70.7 प्रतिशत और 64.8 प्रतिशत ही रह

गयी है। इसका मतलब यह है कि इन मजदूरों में अस्थायी रोजगार बढ़ा। इन वर्गों में अस्थायी रोजगार के आंकड़े इस बात की गवाही भी दे रहे हैं।

छोटे मोटे धंधों से भी बाहर हो रहे दलित

दलित (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग) परंपरागत भूमि से बाहर होकर दूसरों की जमीन पर मजदूरी करने को ही मजबूर नहीं हो रहे, बल्कि घरेलू उद्यमों को भी वे छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जनगणना के ताजा आंकड़ों के अनुसार घरेलू उद्योगों में संलग्न अनुसूचित जाति के कार्मिकों की संख्या 2001 में 3.9 प्रतिशत के घटकर 2011 में 3.2 प्रतिशत ही रह गयी, जबकि अनुसूचित जनजातियों में यह 2.1 प्रतिशत से घटकर 1.8 प्रतिशत रह गया।

महिलाओं की भी घटी भागीदारी

दलित अब न केवल अपनी भूमि से बेदखल हो रहे हैं और अपने परंपरागत काम धंधों से भी बाहर होते जा रहे हैं, बल्कि इन वर्गों में महिलाओं की भागीदारी भी खासी घटी है। गौरतलब है कि 2001 में अनुसूचित जाति की 29.4 प्रतिशत महिलायें काम करती थी, अब वे मात्र 28. 3 प्रतिशत ही रह गयी है। अनुसूचित जनजाति वर्ग में भी यह संख्या 44.8 प्रतिशत से घटकर 43.5 प्रतिशत रह गया है। काम से बाहर होती महिलायें, दलितों की आमदनी के ह्रास की ओर ही इंगित नहीं करता, बल्कि महिला सशक्तिकरण के ह्रास का भी द्योतक है।

सभी गरीबों को नुकसान

विषय केवल दलितों का ही नहीं है, बल्कि सभी गरीब और छोटे किसान अपनी जमीन खो रहे हैं, छोटा धंधा जैसे दुकान, छोटा उद्योग चलाने वाले और अन्य प्रकार के स्वरोजगारयुक्त लोग स्वरोगार से बाहर होते हुए आकस्मिक श्रमिक बनते जा रहे हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के 66वें दौर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004–05 से 2009–10 के मात्र 5

बढ़ती बेरोजगारी और असमानताओं के कारण आम जनता में बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए पहले रोजगार गारंटी योजना और उसके साथ अब खाद्य सुरक्षा कानून को समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता। सरकारी मदद के आधार पर कभी भी स्थाई समाधान नहीं हो सकते। गरीब की सम्पति की सुरक्षा और रोजगार के स्थाई अवसर उपलब्ध कराकर ही वास्तव में गरीबी को दूर करने का स्थाई समाधान निकल सकता है।

वर्षों में ही 250 लाख लोग स्वरोजगार से बाहर हुए और आकस्मिक श्रमिकों की संख्या में 220 लाख लोगों की बढ़ोतरी हो गई। इन आंकड़ों को जनगणना के ताजा आंकड़े सत्यापित करने का काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ें नमूना सर्वेक्षण के आधार पर होते हैं, जबकि जनगणना के आंकड़े पूरी जनसंख्या के विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर निकाले जाते हैं। इसलिए जनगणना के ताजा आंकड़ें गरीबों की बदतर हालत की ओर इंगित कर रहे हैं।

ग्रोथ नहीं है समाधान

गौरतलब है कि वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच के दस वर्षों का यह कालखंड जीडीपी में सर्वाधिक ग्रोथ का कालखंड रहा है। जीडीपी की ग्रोथ इन दस वर्षों के दौरान औसत 8 प्रतिशत के आसपास रही है। औसत भारतीय की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2001 में 17295 रूपए थी, जो 2011 तक बढ़कर 54151 रूपए पहुंच गयी। यानि 3.1 गुना वृद्धि। लेकिन योजना आयोग के संवेदनहीन आंकड़े गरीबी की रेखा से ऊपर बसर करने वाले लोगों के लिए मात्र 12000 रूपए (शहरी क्षेत्रों में) को ही पर्याप्त मानता है। यदि इसमें से कीमतों में वृद्धि को काट लिया जाए, तो भी स्थिर कीमतों पर भी यह वृद्धि 1.8 गुना है। लेकिन जनगणना के ताजे आंकड़े सीधे तौर पर बता रहे हैं कि इस दौरान गरीबों की आमदनी अपेक्षित वृद्धि तो हुई ही नहीं, बल्कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति यानि उनकी जमीन भी उनके हाथ से छिन गई और वे लोग जो अपनी जमीन पर खेती किया करते थे उनमें से बड़ी संख्या में लोग जमीन जमीन खोकर दूसरे के खेतों में काम करने लगे हैं। देश में बढ़ती इस असमानता को हल्के से नहीं लिया जा सकता।

मनरेगा और कानून भी नहीं है समाधान

बढ़ती बेरोजगारी और असमानताओं के कारण आम जनता में बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए पहले रोजगार गारंटी योजना और उसके साथ अब खाद्य सुरक्षा कानून को समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता। सरकारी मदद के आधार पर कभी भी स्थाई समाधान नहीं हो सकते। गरीब की सम्पति की सुरक्षा और रोजगार के स्थाई अवसर उपलब्ध कराकर ही वास्तव में गरीबी को दूर करने का स्थाई समाधान निकल सकता है। किसी राज्य के विकास मॉडल की चर्चाओं अथवा किसी गरीब के घर में जाकर एक रात गुजार देने से गरीबों का भला नहीं हो सकता, यह बात हमारे राजनेताओं को समझ लेनी चाहिए। ऐसी नीतियां अपनानी होगी, जिसमें ग्रोथ के नाम पर गरीब की भूमि न छीनी जाए, श्रम बहुल देश में ऐसे उद्यम चलाने की जरूरत है, जिसमें श्रम का उपयोग ज्यादा हो। अमीर को और अमीर बनाने की कोशिश न हो, बल्कि गरीब की आमदनी को बढ़ाने पर जोर दिया जाए। ❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

हमारा पता है :–

संपादक

स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

हर बार की तरह चीन की दीवाली, भारत का दीवाला

भारत में 2000 करोड़ रूपये से अधिक का चीनी सामान तस्करी से नेपाल के रास्ते आता है इसमें से दीपावली पर बिकने वाला सामान की हिस्सेदारी लगभग 350 करोड़ रुपए की है। इतने बड़े व्यवसाय पर प्रत्यक्ष कर निदेशालय की नजर न पड़ना और वित्त, विदेश, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों का आँखें बंद किये रहना और शुतुरमुर्गी प्रवृत्तियों एवं इतिहास से सबक न लेनें की और गंभीर इशारा करता है। विभिन्न भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों के संघ और प्रतिनिधि मंडल भारतीय नीति निर्धारकों का ध्यान इस ओर समय समय पर आकृष्ट करते रहे है।

■ प्रवीण गुगनानी

जब भी आप खरीदारी के लिए बाजार जाएँ तो जरा इस स्थिति पर गंभीरता और बारीकी से गौर करें कि क्या आप वही दीवाली मनाई हैं जो दीवाली मनाने की परंपरा थी? शायद नहीं। आज के दौर में नई दीपावली को चीनी औद्योगिक तंत्र ने पूरी तरह से बदल दिया है। दीया, झालर, पटाखे, खिलौने, मोमबत्तियां, लाइटिंग, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ आदि से लेकर त्यौहारी कपड़ों तक सभी कुछ चीन हमारे बाजारों में उतार चुका है और हम इन्हें खरीदकर दीवाली के दिन भारत की अर्थव्यवस्था का दीवाला निकाल रहे हैं। ये हालात तब हैं जब चीन का उत्पादन चीन में बनकर भारत आ रहा है किन्तु अब तो स्थिति और अधिक गंभीर हो रही है।

गत सप्ताह हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी चीन यात्रा के दौरान इस करार पर हस्ताक्षर कर दिया है कि भारत में अब एक चाइनीज औद्योगिक परिसर बनेगा जहां चीनी उद्योग ही लगेंगे जिन्हें सरकार अतिरिक्त छूट और रियायतें प्रदान करेगी।

यदि आप गौर करेंगे तो पायेंगे कि हर बार की तरह दीपावली पर इन चीनी

सामानों में निरंतर हो रहे षडयंत्र पूर्ण नवाचारों से हमारी दीपावली और लक्ष्मी पूजा का स्वरूप ही बदल गया है। हमारा ठेठ पारंपरिक स्वरूप और पौराणिक मान्यताएं कहीं पीछें छूटती जा रहीं हैं और हम केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक गुलामी को भी गले लगा रहे हैं। हमारें पटाखों का स्वरुप और आकार बदलनें से हमारी मानसिकता भी बदल रही है और अब बच्चों के हाथ में टिकली फोड़ने का तमंचा नहीं बल्कि माउजर जैसी और एके 47 जैसी बंदूकें और पिस्तोलें दिखनें लगी है। हमारा लघु उद्योग तंत्र बेहद बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पारिवारिक आधार पर चलने वाले कुटीर उद्योग जो दीवाली के महीनों पूर्व से पटाखें, झालरें, दिए, मूर्तियाँ आदि–आदि बनाने लगते थे वे तबाही और नष्ट हो जाने के कगार पर है। कृषि और कुटीर उत्पादनों पर प्रमुखता से आधारित

हर बार की तरह दीपावली पर इन चीनी सामानों में निरंतर हो रहे षडयंत्र पूर्ण नवाचारों से हमारी दीपावली और लक्ष्मी पूजा का स्वरूप ही बदल गया है। हमारा ठेठ पारंपरिक स्वरूप और पौराणिक मान्यताएं कहीं पीछें छूटती जा रहीं हैं और हम केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक गुलामी को भी गले लगा रहे हैं। हमारें पटाखों का स्वरुप और आकार बदलनें से हमारी मानसिकता भी बदल रही है. . .

हमारी अर्थव्यवस्था पर मंडराते इन घटाटोप चीनी बादलों को न तो हम पहचान रहे हैं ना ही हमारा शासन तंत्र। हमारी सरकार तो लगता है वैश्विक व्यापार के नाम पर अंधत्व की शिकार हो गई है और बेहद तेज गति से भेड़ चाल चल कर एक बड़े विशालकाय नुकसान की और देश को खींचे ले जा रही है।

केवल कुटीर उत्पादक तंत्र ही नहीं बल्कि छोटे, मझोले और बड़े तीनों स्तर पर पीढ़ियों से दीवाली की वस्तुओं का व्यवसाय करने वाला एक बड़ा तंत्र निठल्ला बैठनें को मजबूर हो गया है। लगभग पांच लाख परिवारों की रोजी रोटी को आधार देने वाला यह त्यौहार अब कुछ आयातकों और बड़े व्यापारियों के मुनाफा तंत्र का केंद्र मात्र बन गया है। बाजार के नियम और सूत्र इन आयातकों और निवेशकों के हाथों में केन्द्रित हो जानें से सड़क किनारें पटरी पर दुकानें लगानें वाला वर्ग निस्सहाय होकर नष्ट–भ्रष्ट हो जानें को मजबूर है।

यद्यपि उद्योगों से जुड़ी संस्थाएं जैसे–भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने चीनी सामान के आयात पर गहन शोध एवं अध्ययन किया और सरकार को चेताया है तथापि इससे सरकार चैतन्य हुई है इसके प्रमाण नहीं दीखते हैं।

आश्चर्यजनक रूप से चीन में महंगा बिकने वाला सामान जब भारत आकर सस्ता बिकता है तो इसके पीछे सामान्य बुद्धि को भी किसी षडयंत्र का आभास होने लगता है किन्तु सवा सौ करोड़ की प्रतिनिधि भारतीय सरकार को नहीं हो रहा है। सस्ते चीनी माल के भारतीय बाजार पर आक्रमण पर चिन्ता व्यक्त करते हुए एक अध्ययन में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने कहा है – ''चीनी माल न केवल घटिया है, अपितु चीन सरकार ने कई प्रकार की सब्सिडी देकर इसे सस्ता बना दिया है, जिसे नेपाल के रास्ते भारत में भेजा जा रहा है, यह अध्ययन प्रस्तुत करते हुए फिक्की के अध्यक्ष श्री जी.पी. गोयनका ने कहा था। चीन द्वारा अपना सस्ता और घटिया माल भारतीय बाजार में झोंक देने से भारतीय उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है। भारत और नेपाल व्यापार समझौते का चीन अनुचित लाभ उठा रहा है।

आश्चर्यजनक रूप से चीन में महंगा बिकने वाला सामान जब भारत आकर सस्ता बिकता है तो इसके पीछे सामान्य बुद्धि को भी किसी षडयंत्र का आभास होने लगता है किन्तु सवा सौ करोड़ की प्रतिनिधि भारतीय सरकार को नहीं हो रहा है। सस्ते चीनी माल के भारतीय बाजार पर आक्रमण पर चिन्ता व्यक्त करते हुए एक अध्ययन में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने कहा है – ''चीनी माल न केवल घटिया है, अपितु चीन सरकार ने कई प्रकार की सब्सिडी देकर इसे सस्ता बना दिया है। चीन द्वारा अपना सस्ता और घटिया माल भारतीय बाजार में झोंक देने से भारतीय उद्योग को भारी नुकसान हो रहा है।

चीन द्वारा नेपाल के रास्ते और भारत के विभिन्न बंदरगाहों से भारत में घड़ियां, कैलकुलेटर, वाकमैन, सीडी, कैसेट, सीडी प्लेयर, ट्रांजिस्टर, टेपरिकार्डर, टेलीफोन, इमरजेंसी लाइट, स्टीरियो, बैटरी सेल, खिलौने, साइकिलें, ताले, छाते, स्टेशनरी, गुब्बारे, टायर, कृत्रिम रेशे, रसायन, खाद्य तेल आदि धड़ल्ले से बेचें जा रहें हैं। दीपावली त्यौहार पर चीनी आतिशबाजी और बल्बों की चीनी लड़ियों से बाजार पटा दिखता है। पटाखे और आतिशबाजी जैसी प्रतिबंधित चीजें भी विदेशों से आयात होकर आ रही हैं, यह आश्चर्य किन्तु पीड़ा जनक और चिंता जनक है। आठ रुपए में साठ चीनी पटाखों का पैकेट चालीस रुपए तक में बिक रहा है, सौ सवा सौ रूपये घातक प्लास्टिक नुमा कपड़े से बनें लेडिज सूट, बीस रूपये में झालरें–स्टीकर और पंद्रह रुपए में घड़ी, पच्चीस रुपए में कैलकुलेटर, डेढ़–दो रुपए में बैटरी सेल बिक रहें हैं। घातक सामग्री और जहरीले प्लास्टिक से बनी सामग्री एक बड़ा षडयंत्र नहीं तो और क्या है?

गत वर्ष तिरुपति से लेकर रामेश्वरम तक की सड़क मार्ग की यात्रा में साशय मैनें भारतीय पटाखा उद्योग की राजधानी शिवाकाशी में पड़ाव डाला था। यहाँ के निर्धनता और अशिक्षा भरे वातावरण में इस उद्योग ने जो जीवन शलाका प्रज्ज्वलित कर रखी है वह एक प्रेरणास्पद कथा है। लगभग बीस लाख लोगों को

कृषि और कुटीर उत्पादनों पर प्रमुखता से आधारित हमारी अर्थव्यवस्था पर मंडराते इन घटाटोप चीनी बादलों को न तो हम पहचान रहे हैं ना ही हमारा शासन तंत्र। हमारी सरकार तो लगता है वैश्विक व्यापार के नाम पर अंधत्व की शिकार हो गई है और बेहद तेज गति से भेड़चाल चल कर एक बड़े विशालकाय नुकसान की और देश को खींचे ले जा रही है।

प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और सामाजिक सम्मान देनें वाला शिवाकाशी का पटाखा उद्योग केवल धन अर्जित नहीं करता–कराता है बल्कि इसनें दक्षिण भारतीयों के करोड़ों लोगों को एक सांस्कृतिक सूत्र में भी बाँध रखा है। परस्पर सामंजस्य और सहयोग से चलने वाला यह उद्योग सहकारिता की नई परिभाषा गढ़नें की ओर अग्रसर होकर वैसी ही कहानी को जन्म देनें वाला था जैसी कहानी मुंबई के भोजन डिब्बे वालों ने लिख डाली है, किन्तु इसके पूर्व ही चीनी ड्रेगन इस समूचे उद्योग को लीलता और समाप्त करता नजर आ रहा है। यदि घटिया और नुकसानदेह सामग्री से बनें इन चीनी पटाखों का भारतीय बाजारों में प्रवेश नहीं रुका तो शिवाकाशी पटाखा उद्योग इतिहास का अध्याय मात्र बन कर रह जाएगा।

भारत में 2000 करोड़ रूपये से अधिक का चीनी सामान तस्करी से नेपाल के रास्ते आता है इसमें से दीपावली पर बिकने वाला सामान की हिस्सेदारी लगभग 350 करोड़ रुपए की है। इतने बड़े व्यवसाय पर प्रत्यक्ष कर निदेशालय की नजर न पड़ना और वित्त, विदेश, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों का आँखें बंद किये रहना और शुतुरमुर्गी प्रवृत्तियों एवं इतिहास से सबक न लेनें की और गंभीर इशारा करता है। विभिन्न भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों के संघ और प्रतिनिधि मंडल भारतीय नीति निर्धारकों का ध्यान इस ओर समय समय पर आकृष्ट करते रहे है। दुखद है कि विभिन्न सामरिक विषयों पर हमारी सप्रंग सरकार और इसके मुखिया मनमोहन सिंह चीन के समक्ष बिलकुल भी प्रभावी नहीं रहे हैं और विभिन्न मोर्चों पर चीन के समक्ष सुरक्षात्मक ही नजर आते रहे हैं तब इस शासन से कुछ बड़ी आशाएं व्यर्थ ही हैं किन्तु फिर भी इस नवम्बर माह में त्यौहारों के अवसर पर यदि शासन तंत्र अवैध रूप से भारतीय बाजारों में घुस आये सामानों पर और इस व्यवसाय के सूत्रधारों पर कार्यवाही करे तो ही शुभ–लाभ होगा। ❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

मान्यवर,,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740 IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram) में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

रिजर्व बैंक के बंधे हाथ

रिजर्व बैंक चाहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था गति पकड़े। परन्तु सरकार द्वारा विभिन्न तरह से अर्थव्यवस्था का खून निकाला जा रहा है। ऐसे में रिजर्व बैंक के सभी अस्त्र फेल हो जाते हैं। अक्टूबर के अंत में जारी मौद्रिक नीति की समीक्षा में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की है। यह हल्का कदम इस बात का द्योतक है कि रिजर्व बैंक के हाथ बंधे हुये हैं जैसे जेल में बन्द कैदी करवट बदलता रहता है। धीमी विकास दर और महंगाई की दोहरी मार में रिजर्व बैंक को रास्ता नहीं मिल रहा है।

■ डॉ. भरत झुनझुनवाला

एक व्यक्ति प्रति सप्ताह ब्लड बैंक में जाकर अपना खून बेच आता है। वह कमजोरी से ग्रसित हो गया है। डाक्टर कभी उसे विटामिन देता है तो कभी ग्लूकोज़ चढ़ाता है। डाक्टर फेल हो जाता है। ऐसी ही परिस्थिति हमारे रिजर्व बैंक की है। रिजर्व बैंक चाहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था गति पकड़े। परन्तु सरकार द्वारा विभिन्न तरह से अर्थव्यवस्था का खून निकाला जा रहा है। ऐसे में रिजर्व बैंक के सभी अस्त्र फेल हो जाते हैं। अक्टूबर के अंत में जारी मौद्रिक नीति की समीक्षा में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 0.25 प्रतिशत की मामूली वृद्धि की है। यह हल्का कदम इस बात का द्योतक है कि रिजर्व बैंक के हाथ बंधे हुये हैं जैसे जेल में बन्द कैदी करवट बदलता रहता है।

धीमी विकास दर और महंगाई की दोहरी मार में रिजर्व बैंक को रास्ता नहीं मिल रहा है। यदि रिजर्व बैंक के द्वारा ब्याज दर में ज्यादा वुद्धि की जाती है तो महंगाई नियंत्रण में आती है लेकिन विकास दर गिरती है। इसके विपरीत यदि ब्याज दर कम की जाती है तो विकास दर बढ़ती है परन्तु महंगाई बढ़ती है।

महंगाई इसलिये पनपती है कि सरकार अधिक संख्या में नोट छापती है। मान लीजिये अर्थव्यवस्था में 10 किलो गेहूं का उत्पादन हो रहा है और 100 रुपये के नोट प्रचलन में हैं। गेहूं का दाम 10 रुपये प्रति किलो है। ऐसे में सरकार 20 रुपये के नोट छापकर दो किलो गेहूँ खरीद लेती है। अब बाजार में आठ किलो गेहूं बचे जबकि 100 रुपये के नोट पूर्ववत् प्रचलन में हैं। जब ये उपभोक्ता बाजार में गेहूं खरीदने जाते हैं तो दुकानदार दाम बढ़ाकर 12 रुपये कर देता है।

सरकार को नोट छापने पड़ रहे हैं चूंकि राजस्व का दुरूपयोग हो रहा है।

सरकारी कर्मियों के बढ़े हुये वेतन एवं ठेंकों के माध्यम से सरकारी राजस्व का रिसाव हो रहा है। इस रकम का बड़ा हिस्सा देश के बाहर भेज दिया जाता है। इस रिसाव की पूर्ति सरकार के द्वारा नोट छापकर की जा रही है। ऐसे में रिजर्व बैंक ऐसा कर सकता है कि बैंकों के लिये ऋण देना कठिन बना दे। ऐसा करने से प्रचलन में आने वाले नोट कम हो जायेंगे। महंगाई नियंत्रण में आ जायेगी। परन्तु उद्यमी को माल बनाने के लिये वर्किंग कैपिटल नहीं मिलेगा। आर्थिक विकास दर गिरेगी।

दूसरी समस्या विकास दर में आ रही गिरावट की है। पूर्व में आठ प्रतिशत विकास दर के स्थान पर आज पांच प्रतिशत को भी बनाये रखना कठिन हो रहा है। विकास दर बढ़ाने के लिये खपत कम और निवेश ज्यादा करना होता है। जैसे आटो रिक्शा चालक यदि 1000 रुपये की कमाई से 300 रुपये की बचत करता है और 700 रुपये की खपत से काम चलाता है तो कुछ वर्ष बाद वह टैक्सी खरीद लेता है।

इसी प्रकार सरकार यदि राजस्व का उपयोग सड़क, बंदरगाह, रिसर्च, रेल लाइन इत्यादि के लिये करे तो विकास दर बढ़ती है। इसके विपरीत यदि सरकार सरकारी कर्मियों के वेतन, मनरेगा, राइट टू फूड तथा मिड डे मील पर खर्च बढ़ाये तो विकास दर गिरती है। हमारी सरकार की हालत यह है कि कमाई 1000 और खपत 1200 रुपये। रिजर्व बैंक मात्र इतना कर सकता है कि ब्याज दरों में वृद्धि करे जिससे सरकार के लिये ऋण लेना कठिन हो जाये। परन्तु ऋण लेकर घी पीने वाले को ब्याज दर से सरोकार कम ही होता है।

तीसरी समस्या बढ़ते व्यापार घाटे की है। निर्यात और आयात के अन्तर को व्यापार घाटा कहा जाता है। निर्यात से हमें डालर मिलते हैं। आयातकों द्वारा इन डालरों को खरीद कर विदेशों से फर्टिलाइजर, सेब अथवा मशीन खरीदने के लिये उपयोग किया जाता है। निर्यात कम और आयात ज्यादा हो तो विदेश व्यापार को घाटे में चल रहा कहा जाता है जैसे कि हमारी स्थिति है। व्यापार घाटे को पाटने के दो उपाय होते हैं। एक यह कि मुद्रा का अवमूल्यन होने दें। रुपया सस्ता हो जायेगा तो हमारे निर्यात बढ़ेंगे और आयात महंगे हो जायेंगे। 1991 में मनमोहन सिंह ने इस उपाय को लागू किया था और देश को दीवालिया होने से बचाया था।

इस बार उन्होंने दूसरा उपाय लगाया है। विदेशी निवेश के माध्यम से वे घाटे को पाटने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आटो रिक्शा चालक की आय कम और खर्च ज्यादा हो तो वह आटो में दस प्रतिशत की पार्टनरशिप बनाकर कुछ रकम प्राप्त कर सकता है। विदेशी निवेश के माध्यम से सरकार ऐसा ही कर रही है। जैसे जापानी निवेशकों ने रैनबैक्सी कम्पनी को खरीद लिया है। देश की पूंजी बेच दी गई। मिली रकम का उपयोग हमने वाशिंगटन के सेब अथवा पेरिस के परफ्यूम खरीदने के लिये किया। लेकिन यह प्रक्रिया ज्यादा दिन नहीं चलती है। शीघ्र ही पार्टनर को समझ आ जाता है कि आटो रिक्शा घाटे में चल रहा है। तब रिक्शा चालक ने कहा कि आप 51 प्रतिशत की पार्टनरशिप कर लीजिये। आप मालिक और मैं नौकर हो जाउंगा। फिर भी निवेशक ने पैसा नहीं लगाया क्योंकि घाटे में चल रही कम्पनी में कम लोग ही पूंजी लगाना चाहते हैं।

यही कारण है कि घरेलू उड्डयन, रिटेल, बीमा आदि में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के बावजूद निवेश नहीं आ रहा है। ऐसे में रिजर्व बैंक केवल अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बेचकर कुछ समय के लिये रुपये को गिरने से बचा सकता है। परन्तु भंडार सीमित होने से रिजर्व बैंक के सामने विकल्प सीमित है। अर्थव्यवस्था की मूल समस्या सरकार की पालिसी है। कर्मियों के वेतन और ठेकों में रिसाव होने के कारण महंगाई बढ़ रही है। वोट खरीदने के लिये सरकारी राजस्व का उपयोग करने से विकास दर गिर रही है। विदेशी निवेष को आकर्षित कर खपत करने से व्यापार घाटा बढ़ रहा है।

सरकार के द्वारा राजस्व का उपयोग किस दिशा में किया जाता है इसका अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव पड़ता है। सरकार यदि राजस्व का उपयोग हाइवे, रिसर्च आदि उत्पादक कार्यों में करती है तो विकास चक्र चालू हो जाता है। हाइवे बनाने से यात्री अपने गंतव्य स्थान पर जल्दी पहुंच जाते हैं और उत्पादन करते हैं। हाइवे खराब हो तो वह बस में बैठा रहता है और देश उस समय होने वाले उत्पादन से वंचित रह जाता है। हाइवे बनाने में सीमेंट, स्टील औरश्रम की मांग बढ़ती है। लोगों के हाथ में क्रय शक्ति आती है और लोग बाजार से माल खरीदते हैं। पुनः विकास का सुचक्र चालू हो जाता है। इसके विपरीत यदि सरकार कर्मियों कों बढ़ाकर वेतन दे अथवा ठेकों से रिसाव कराये तो रकम का बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था से बाहर चला जाता है। सरकारी कर्मचारी सोना खरीदकर तिजोरी में रख देते हैं। भ्रष्टाचार का काला धन विदेश चला जाता है। माल की डिमान्ड उत्पन्न नहीं होती है। हाइवे अनुपलब्ध होने से यात्री का समय बस में बैठे व्यतीत हो जाता है और देश की उत्पादक क्षमता का ह्रास होता है। अतः अर्थव्यवस्था में गति लाने के लिये सरकार को अपने खर्चों की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। रिजर्व बैंक के पास इस रोग का उपचार नहीं है। ❑

रिजर्व बैंक केवल अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बेचकर कुछ समय के लिये रुपये को गिरने से बचा सकता है। परन्तु भंडार सीमित होने से रिजर्व बैंक के सामने विकल्प सीमित है। अर्थव्यवस्था की मूल समस्या सरकार की पालिसी है। कर्मियों के वेतन और ठेकों में रिसाव होने के कारण महंगाई बढ़ रही है। वोट खरीदने के लिये सरकारी राजस्व का उपयोग करने से विकास दर गिर रही है। विदेशी निवेश को आकर्षित कर खपत करने से व्यापार घाटा बढ़ रहा है।

आर्थिक उम्मीदों को जमीन चाहिए

अगले छह महीनों में तमाम राज्यों में व केंद्र में नई सरकारें होंगी। ये सरकारें कैसी होंगी, इन्हें कौन बनाएगा, इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बेहतर यह हो कि देश की सारी महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां आर्थिक स्थितियों को लेकर एक न्यूनतम सहमति बनाएं कि इन नीतियों, इन प्रस्तावों पर ये पार्टियां अपना समर्थन हर हाल में देंगी, देश की अर्थव्यवस्था के हित में। पर फिलहाल न्यूनतम आर्थिक सहमति की बात दूर की कौड़ी ही लग रही है। और जो स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, उनमें यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि राजनीतिक स्थिरता की संभावनाएं कम ही हैं।

■ आलोक पुराणिक

देश के आर्थिक हालात में कुछ सुधार दिख रहा है। अब रुपया डॉलर के मुकाबले 67–68 तक गोते खाने की आशंका में नहीं झूल रहा है, बल्कि 61–62 के आसपास पर घूम रहा है। यूं समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं, पर ऐसा लग रहा है कि वे उतनी भयावह नहीं होंगी, जितनी आशंका व्यक्त की जा रही थी। स्टॉक बाजार में मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स दीवाली से पहले ही 21 हजार अंकों के पार चला गया। 21 हजार का आंकड़ा सेंसेक्स के लिए जैसे जादुई आंकड़ा था, अब से करीब छह साल पहले 2008 में सेंसेक्स ने उसे छुआ था। फिर करीब तीन साल पहले भी 21000 के आंकड़े को सलाम कहा था सेंसेक्स ने।

फिर वह वहीं पहुंचा है। एक तरह से देखें, तो निवेशकों के लिए यह इस रूप में खुशी का वक्त हो सकता है कि पुरानी ऊंचाईयां फिर तय की गई, पर मसला इतनी खुशी का भी नहीं है। मसला जहां से चले थे, फिर वहीं पर पहुंचने भर का है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सेंसेक्स के हिसाब से पिछले सालों में निवेशकों ने कुछ कमाया नहीं। जहां थे वहीं रहे। यह निवेशकों के साथ अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरी बात है। पिछले करीब छह सालों में महंगाई का हिसाब–किताब लिया जाए, तो साफ होता है कि 2013 में 21 हजार पर टिका सेंसेक्स करीब 13 हजार के बिंदु पर ही टिका हुआ माना जाए। मतलब यह कि जिसने छह साल पहले शेयर बाजार में 21 हजार रुपये लगाये थे, वे गिरकर अब 13 हजार रह गए हैं। यानी शेयर बाजार के निवेशकों को इसमें घाटा ही हुआ है।

शेयर बाजार में निवेश घाटे का सौदा बना, हाल के पांच साल कम से कम यही बताते हैं। शेयर बाजार की बदहाली की वजहें बहुत हद तक अर्थव्यवस्था की हालत में छिपी हैं। बरसों–बरस नीति निर्माण को मारे लकवे ने शेयर बाजार को भी मारा। अर्थव्यवस्था के उद्योग जो एक जमाने में स्टार उद्योग माने जाते थे, वे नीति–भ्रम के चलते डूबने के कगार पर पहुंचे– टेलीकाम, एवियेशन इनमें शामिल हैं। शेयर बाजार अर्थव्यवस्था के दार्यो में ही काम करते हैं। अर्थव्यवस्था की बदहाली का परिणाम देर–सबेर शेयर बाजार पर दिखना ही होता है, वह दिखा और जमकर दिखा। निवेशकों के लिए पिछले पांच सालों का वक्त बहुत बुरा बीता और बतौर उपभोक्ता तो सभी की हालत खराब रही। लगातार बढ़ती महंगाई ने सबकी जान को आफत में डाले रखा।

भारतीय उद्योग जगत और शेयर बाजार को आगे बढ़ने की राह में अभी काफी सबक लेने की जरूरत है। फिलहाल सीन यह है कि भारत में महंगाई ने पब्लिक का वर्तमान खराब किया है और निवेश की बदहाली ने भविष्य को लेकर आशंकित किया है। पिछले पांच सालों में निवेशक के लिए मौके बहुत कम रहे, सोने के भाव जरूर पिछले पांच सालों में बढ़े।

यूं देखा जाए तो इस दौरान भारतीय शेयर बाजार के मुकाबले पाकिस्तानी शेयर बाजार ने अच्छा रिटर्न दिया है। कराची स्टॉक बाजार का तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक पिछले करीब चार सालों में 73 प्रतिशत बढ़ा। पाकिस्तानी शेयर बाजार की तरफ देखें, तो पता चलता है कि वहां राजनीति के हालात खराब रहे, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती रहीं फिर भी उद्योग चलते रहे और शेयर बाजार बढ़ते रहे। यानी राजनीतिक दलों से पूरे तौर पर बेजार हो जाए उद्योग जगत, तब जाकर एक नई स्थिति पैदा होगी। वैसी स्थिति जैसी पाकिस्तान में हो गई है। जनता और उद्योग जगत एक हद तक पाकिस्तानी राजनीति से निरपेक्ष

हो गए हैं। पाकिस्तान में बहुत सालों की निराशा और परेशानी के बाद यह स्थिति आई है।

यह स्थिति निश्चय ही सुखद नहीं है पर कई स्थितियों में सुखद और दुखद का विकल्प नहीं होता है, वे जैसी होती हैं, उन्हें स्वीकार करना होता है। भारतीय राजनीति का जहां तक सवाल है, कई मामलों में वह ऐसी स्थिति में पहुंच रही है, जहां नए विकल्प के पहले के मुकाबले ज्यादा निकम्मा होने की आशंका बढ़ सकती है। सरकारें पांच साल चलेंगी या नहीं, यह कभी नहीं कहा जा सकता। गठबंधन का कौन–सा पार्टनर सरकार को समर्थन देने की कीमत किस घोटाले की शक्ल में वसूले, यह भी नहीं कहा जा सकता है।

कुल मिलाकर दृश्य है कि भारतीय उद्योग जगत और शेयर बाजार को आगे बढ़ने की राह में अभी काफी सबक लेने की जरूरत है। फिलहाल सीन यह है कि भारत में महंगाई ने पब्लिक का वर्तमान खराब किया है और निवेश की बदहाली ने भविष्य को लेकर आशंकित किया है। पिछले पांच सालों में निवेशक के लिए मौके बहुत कम रहे, सोने के भाव जरूर पिछले पांच सालों में बढ़े। पांच साल पहले सोना 12,500 रुपये का दस ग्राम आ रहा था, आज करीब तीस हजार रुपये से अधिक प्रति दस ग्राम के भाव पर है। यानी सोने ने निवेशकों को पांच साल में दोगुने से ज्यादा का रिटर्न दिया है। पर समझने की बात यह है कि सोने में लगाई गई रकम को भारतीय संदर्भ में निवेश नहीं माना जाना चाहिए। निवेश उस वस्तु में लगाई गई रकम को मान सकते हैं, जिसमें लगाई रकम को हासिल करने के लिए उस वस्तु की खरीद–बिक्री की जाए।

सोने का इतिहास भारत में यह है कि आम तौर पर पब्लिक द्वारा इसे सिर्फ खरीदा ही जाता है, बेचा नहीं जाता है। और बेचा भी जाता है तो विषम परिस्थितियों में ही। हालांकि कुछेक होशियार निवेशकों ने अपनी रकम पांच साल में दो गुनी कर ली। प्रापर्टी बाजार का हाल पिछले पांच सालों में बहुत अच्छा तो नहीं रहा, पर बहुत बुरा भी नहीं रहा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु के प्रापर्टी बाजार निवेशकों के खास आकर्षण का केंद्र रहे हैं। यहां नई परियोजनाएं कुछ समय पहले तक ठप पड़ी थीं। अब फिर से अखबारों में तमाम रीयल एस्टेट परियोजनाओं के इश्तिहार आने शुरू हुए हैं, मतलब बिल्डरों और खरीदारों में फिर से उम्मीद जगी है।

मोटे तौर पर एक साल पहले तक के आंकड़ों में मांग में कमी ही देखी जा रही थी, पर अब दृश्य बदला है। मोटे तौर पर प्रापर्टी बाजार में खास तौर पर घरों के भाव दस साल में चौगुने हो जाते हैं और पांच साल में दोगुने। इसके पीछे अर्थव्यवस्था का हाथ हो या न हो, काले धन की अर्थव्यवस्था का हाथ ज्यादा है।

देश की काली कमाई का बड़ा हिस्सा प्रापर्टी में जाता है। काली कमाई की अर्थव्यवस्था में भी मंदी आती है, पर वह मंदी विकट और व्यापक नहीं होती। काले बाजार में धन की आपूर्ति बनी रहती है। शेयर बाजार में काला धन आसानी से नहीं खपता है क्योंकि वहां रिकॉर्ड रहते हैं। प्रापर्टी बाजार के सौदों का बड़ा हिस्सा रिकॉर्ड पर नहीं होता, काले धन के तौर पर उसका लेन–देन होता है, इसलिए प्रापर्टी बाजार में कभी उस तरह की सघन मंदी नहीं देखी जाती, जैसी कि शेयर बाजार में दिख जाती है।

अब अर्थव्यवस्था में उम्मीद के नए मौके दिख रहे हैं। अब रुपया थोड़ा स्थिर हो चला है, शेयर बाजार ने डूबना बंद कर दिया है। उम्मीदें बन रही हैं, पर उन्हें जमीन नहीं मिली है। जमीन मिलेगी तब, जब राजनीतिक स्तर पर आश्वस्ति का भाव आएगा। कुछ आर्थिक चिंताएं भी बरकरार हैं। महंगाई के मोर्चे पर चिंता बनी हुई हैं। महंगाई अगर कम नहीं हुई, तो फिर रिजर्व बैंक चाहकर भी ब्याज दरों को कम नहीं कर पाएगा। ब्याज दरों का ऊंचा बने रहना कई उद्योगों के लिए परेशानी की वजह है।

हालांकि रिजर्व बैंक के नए गर्वनर ने आशावादिता की वजह दी है, पर आशा को ठोस आधार अभी मिलना बाकी है। अगले छह महीनों में तमाम राज्यों में व केंद्र में नई सरकारें होंगी। ये सरकारें कैसी होंगी, इन्हें कौन बनाएगा, इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।

बेहतर यह हो कि देश की सारी महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियां आर्थिक स्थितियों को लेकर एक न्यूनतम सहमति बनाएं कि इन नीतियों, इन प्रस्तावों पर ये पार्टियां अपना समर्थन हर हाल में देंगी, देश की अर्थव्यवस्था के हित में। पर फिलहाल न्यूनतम आर्थिक सहमति की बात दूर की कौड़ी ही लग रही है। और जो स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, उनमें यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि राजनीतिक स्थिरता की संभावनाएं कम ही हैं। देश, उद्योग जगत और शेयर बाजार को ऐसी स्थितियों के लिए तैयार रहना सीखना होगा। ❑

अभिमत

अब प्रवासी भारतीयों से बंधती उम्मीदें

विदेशी धरती पर अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के बाद एनआरआई भारतीय अर्थव्यवस्था में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाने में खासे मददगार हो सकते हैं। यह देखा गया है कि जब भी रुपया कमजोर हुआ है, तब प्रवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजे गए धन से उसे मजबूती मिली है और वह स्थिरता की ओर बढ़ा। उल्लेखनीय है कि इस समय दुनिया भर के विभिन्न देशों में कार्यरत लोगों द्वारा स्वदेश धन भेजने के मामले में प्रवासी भारतीय शीर्ष पर हैं।

■ **जयंतीलाल भंडारी**

यकीनन आर्थिक मुश्किलों के एक ऐसे दौर में, जब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटते हुए 277 अरब डॉलर रह गया है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं की ताजा रिपोर्ट कह रही हैं कि भारत के लिए विदेशी मुद्रा की कमाई की राह बहुत कठिन बनी हुई है, तब प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) से विदेशी मुद्रा प्राप्ति की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं।

विदेशी धरती पर अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के बाद एनआरआई भारतीय अर्थव्यवस्था में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाने में खासे मददगार हो सकते हैं। यह देखा गया है कि जब भी रुपया कमजोर हुआ है, तब प्रवासी भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजे गए धन से उसे मजबूती मिली है और वह स्थिरता की ओर बढ़ा। उल्लेखनीय है कि इस समय दुनिया भर के विभिन्न देशों में कार्यरत लोगों द्वारा स्वदेश धन भेजने के मामले में प्रवासी भारतीय शीर्ष पर हैं। विश्व बैंक की हाल ही में जारी अनुमान रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीयों के 2013 में 71 अरब डॉलर की राशि स्वदेश भेजने की संभावना है। विदेशों में कार्यरत लोगों से धन प्राप्ति के मामले में भारत सबसे आगे है, उसके बाद चीन का स्थान आता है। चीनी प्रवासियों के 60 अरब डॉलर स्वदेश भेजने की संभावना है।

वर्ष 2013 में विकासशील देशों में इस तरह आने वाली कुल मुद्रा का एक तिहाई अकेले भारत और चीन के खाते में आएगा।

भारतीय प्रवासियों से सहयोग की नई उम्मीदों के तहत केंद्र सरकार एवं रिजर्व बैंक ने भी प्रवासियों के निवेश के लिए जो आकर्षक कदम उठाए हैं, उनके कारण विदेश में बसे भारतीयों ने अपनी निवेश गतिविधि तेज कर दी है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों ने अप्रवासी भारतीय जमा खातों (एफसीएनआर) पर ब्याज दरों में वृद्धि की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा हासिल की जा सके। इस वर्ष मार्च से लेकर सितंबर तक के दौरान कई बैंकों ने अपनी एफसीएनआर जमा दरों में इजाफा किया है। आईसीआईसीआई बैंक अपने एनआरआई ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से तीन फीसदी ज्यादा ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक, देना बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी प्रवासियों से जमा प्राप्त करने के लिए अपनी ब्याज दरों में आकर्षक वृद्धि की है।

एनआरआई को रिजर्व बैंक का स्वाइप विंडो की सुविधा प्रदान करने का विचार काफी रास आ रहा है। दरअसल, एनआरआई विदेशी बैंकों से कम ब्याज दरों पर पैसे लेकर उसे एफसीएनआर अकाउंट में ऊंची ब्याज दरों पर जमा करा रहे है। इससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। रिजर्व बैंक ने सितंबर के तीसरे सप्ताह से 30 नवंबर तक एनआरआई के लिए स्वाइप विंडो की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके तहत रिजर्व बैंक ने एफसीएनआर डिपॉजिट पर देय ब्याज को फ्री कर दिया है। एनआरआई लगातार इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। मसलन अगर कोई एनआरआई लंदन में रह रहा है, तो उसे भारत में एफसीएनआर पर पांच वर्ष के लिए 5.5 फीसदी और तीन वर्ष के लिए 4.7 फीसदी ब्याज मिल रहा है। चूंकि ब्रिटेन और अन्य विकसित देशों में कर्ज पर ब्याज दर कम है, इसलिए प्रवासी भारतीय उन देशों में ओवर ड्रॉफ्ट करके स्वाइप विंडो का उपयोग करके इसका लाभ ले रहे हैं।

वस्तुतः विदेशों में रह रहे भारतीय कारोबारियों, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और उद्योगपतियों की प्रभावी भूमिका दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में सराही जा रही है। प्रवासी भारतीय विकसित देशों के सबसे महत्वपूर्ण विकास सहभागी बन गए हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों और विदेशों में कार्य कर रही भारत की नई पीढ़ी की श्रेष्ठता को स्वीकार्यता मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सहित दुनिया के कई राष्ट्र प्रमुखों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं में प्रवासी भारतीयों के योगदान का कई बार उल्लेख

(शेष पृष्ठ 36 पर)

सस्ते श्रम का जरिया है विस्थापित : यूनेस्को

बीते माह यूनेस्को की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह मानना गलत है कि देश में एक स्थान से दूसरे स्थान में बड़ी संख्या में विस्थापित हो रहे लोगों के कारण महानगरों और शहरों में दबाव बढ़ रहा है। यूनेस्को के अनुसार भारत में लोगों का आंतरिक विस्थापन शहरों पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव का कारण नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार आमतौर पर विस्थापितों को बाहरी व्यक्ति समझा जाता है, साथ ही उन्हें शहरों में तरह तरह की समस्याओं की वजह माना जाता है लेकिन असलियत यह है कि इनसे सस्ता श्रम उपलब्ध होता है। ये लोग जोखिम वाले और निम्न स्तर के काम भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे में यह कामकाज के नजरिए से एक तरह की सब्सिडी होते हैं। विस्थापित श्रमिकों को सुविधाओं से वंचित रखकर सरकार एक तरह से विस्थापन के खर्चों और उसके जोखिमों को बढ़ावा देने के साथ ही ऐसे लोगों की क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने के अवसर भी खो रही है। रिपोर्ट के अनुसार आज भारत में आंतरिक स्तर पर विस्थापित होने वाले लोगों में एक तिहाई संख्या शहरों में रहने वाले लोगों की है जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका में शहरों का 40 फीसदी विकास आंतरिक स्तर पर होने वाले विस्थापन पर टिका हुआ है। यूनेस्को के अनुसार भारत में विस्थापितों की सबसे ज्यादा 58 फीसद संख्या सूरत में है ओर वही मुंबई और दिल्ली में यह आंकड़ा 43 फीसदी है। ❑

भुखमरी का तगमा भारत के नाम

आज हम अनाज उत्पादन के मामले आत्मनिर्भर हो गए है। वही दूसरी ओर भुखमरी और कुपोषण के मामले में देश के हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से भी ज्यादा खराब है। वर्ष 2013 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआइ) रिपोर्ट की माने तो भारत भूख और कुपोषण के मामले में 120 विकासशील देशों की सूची में 63 वें स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भुखमरी और कुपोषण के मामले में भारत की हालत थोड़ा सुधार हुआ है, पर अब भी हालात चिंताजनक हैं। पिछले साल की रिपोर्ट में भारत 67वें स्थान पर था। वही हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में चीन के छठे स्थान पर है जबकि श्रीलंका 43वें, पाकिस्तान 57वें और बांग्लादेश 58वें स्थान पर हैं। अगर हम अन्य देशों के उभरती अर्थव्यवस्था की तुलना करें तो ब्राजील को सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देशों की कतार में जगह मिली है, वही भारत की हालत चिंताजनक देशों की श्रेणी में रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने आर्थिक विकास तो किया है परन्तु भूखमरी व कुपोषण मिटाने में सफलता हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे है कि जहां हम 202 तक सुपर पावर बनने का स्वप्न देख रहे है वही दूसरी ओर कुपोषण, भुखमरी से हर साल लाखों लोग मर रहे हैं। दूसरी तरफ लाखों टन अनाज खुले में रखने से बरबाद हो रहा है। देश में अनाज का कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी गरीबी–भुखमरी से लोग मर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? ❑

वालमार्ट लॉबिंग की जानकारी देने से पीएमओ का इनकार

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने खुदरा क्षेत्र की अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी वालमार्ट की लॉबिंग करने वालों के संग प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व अन्य अधिकारियों की बातचीत का विस्तृत ब्योरा देने से इनकार कर दिया है। इसके लिए उसने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत मिली छूट का हवाला दिया है। आरटीआई के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में पीएमओ ने कहा है, 'प्रधानमंत्री के संबंध में कार्यालय ने कहा है कि जो सूचना मांगी गई है उसे नहीं देने के लिए इस कानून की धारा–8 में छूट प्राप्त है, जबकि पीएमओ के अधिकारियों के संदर्भ में कहा गया है कि मांगी गई सूचना कार्यालय के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है।'

आरटीआई के तहत पूछे गए इस सवाल के जवाब में पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबंध में कार्यालय ने कहा है कि जो सूचना मांगी गई है उसे नहीं देने के लिए इस कानून की धारा आठ में छूट प्राप्त है, जबकि पीएमओ के अधिकारियों के संदर्भ में कहा गया है कि मांगी गई सूचना कार्यालय के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है।''

अमेरिकी संसद के दस्तावेजों के मुताबिक, वालमार्ट ने वर्ष 2012 में 33 करोड़ रुपये विभिन्न मुद्दों पर लॉबिंग करने के लिए खर्च किए हैं। इनमें भारत के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी मुद्दा था। ज्ञातव्य है कि भारत में खुदरा स्टोर खोलने के मुद्दे पर भारती एंटरप्राइजेज व वालमार्ट हाल ही में अलग–अलग हो गए हैं। ❑

नहीं मिलेगी महंगाई से मुक्ति : आरबीआई

आने वाले वाले दिनों में भी आम आदमी को कमरतोड़ महंगाई से राहत नहीं मिलने वाली है। यह बात खुद आरबीआई ने जताई है। रिजर्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान भी खुदरा महंगाई दर 9 फीसदी से ऊपर ही रहेगी। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा पेश करते हुए कहा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई खाद्य पदार्थों के साथ–साथ अखाद्य पदार्थों जैसे सेवाओं के मामले में भी काफी बढ़ गई है। यही कारण है कि आने वाले महीनों में भी खुदरा महंगाई दर के अपेक्षा से कहीं ज्यादा रहने की संभावना है। ❑

वेतन वृद्धि पर महंगाई का डाका

बाजार अनुसंधान फर्म ईसीए इंटरनेशनल की सैलरी ट्रेंड्स सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2014 में कर्मचारियों के वेतन में 11 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है पर इस वेतन वृद्धि को महंगाई के तराजू पर तौला जाए तो बढ़ोतरी सिर्फ दो प्रतिशत है। जब देश में खाद्य पदार्थों के दाम दिन प्रति काफी बढ़ते जा रहे है। ❑

व्यापार की दृष्टि से घटा भारत का रुतबा

विश्व बैंक के अनुसार, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सूची में भारत तीन पायदान और फिसल गया है। अब वह 134वें स्थान पर पहुंच गया है। 189 देशों की ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में भारत की स्थिति पिछले साल के 131 के मुकाबले में और कमजोर हो गई है। वहीं सिंगापुर नंबर एक की अपनी स्थिति को बनाए रखने में सफल रहा है। सूची में सिंगापुर के बाद हांगकांग और न्यूजीलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ऐसे समय में जबकि भारत सरकार देश के बिजनेस माहौल को सुधारने के लिए लगातार कोशिश में लगी है, 2014 में नया बिजनेस शुरू करने के लिहाज से भारत 179 वें स्थान पर है। व्यापार करने के लिहाज से भारत की स्थिति में और गिरावट आई है। देशों की रैंकिंग बिजनेस की शुरुआत करने, निर्माण की अनुमति मिलने, बिजली की व्यवस्था, प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराने, क्रेडिट पाने, निवेशकों की सुरक्षा, टैक्स का भुगतान करने, सीमा के पार व्यापार करने, कॉन्ट्रेक्ट पाने और दिवालियापन जैसे मामले के विभिन्न मानकों के आधार पर की गई है। ❑

59 अरब डालर की अमेरिकी ऋण प्रतिभूतियां

भारत के पास अमेरिका सरकार की 59 अरब डालर की ऋण प्रतिभूतियां हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा ऋण भुगतान में चूक को लेकर चिंता बढ़ रही है। जुलाई माह तक भारत के अमेरिका की 59.1 अरब डालर की ऋण प्रतिभूतियां थीं जो ब्रिक्स (रूस, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका व चीन) देशों में दूसरा सबसे निचला स्तर है। वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार वास्तव में ऋण प्रतिभूतियों में जुलाई में भारत का निवेश घटा है। जून माह में भारत के पास 61.2 अरब डालर की ऋण प्रतिभूतियां थीं। जबकि जनवरी माह में अमेरिकी ऋण प्रतिभूतियों में भारत का निवेश 58.5 अरब डालर का था, जो फरवरी में घटकर 56.8 अरब डालर पर आ गया। इसके अगले महीने यह और घटकर 55 अरब डालर रह गया। ❑

अमेरिकी संकट टला है खत्म नहीं हुआ

अमेरिका में कर्ज संकट का हल निकलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे सात फरवरी, 2014 तक सरकार के पास डिफॉल्ट से बचे रहने का समय है। अब ओबामा सरकार को फरवरी तक बजट पारित कराना होगा रिपब्लिकन पार्टी ओबामाकेयर को मुद्दा बना कर बजट को पारित होने से रोकती रही है। उसकी मांग है कि ओबामा या तो अपनी हेल्थकेयर योजना वापस लें या एक साल के लिए टाल दें। अमेरिका के बजट संकट के हल होने से केवल इस देश ने ही नहीं, दुनिया भर ने राहत की सांस ली है। अमेरिकी कांग्रेस ने बजट संकट पर हुए समझौते को पारित कर दिया और राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया। इस समझौते में ऋण सीमा बढ़ाने और सरकारी कार्यालयों में बंद समाप्त करने वाला विधेयक शामिल है। बहरहाल, अब जब समझौता हो गया है तो इसके महत्व को थोड़े विस्तार से समझना आवश्यक है। 17 अक्टूबर को अमेरिकी सरकार की उधार लेने की 167 खरब डॉलर की सीमा समाप्त हो रही थी। यदि इससे पहले इसे नहीं बढ़ाया जाता तो सरकार अपनी देनदारियों में चूक सकती थी। इससे आर्थिक संकट पैदा हो जाता। इस समझौते के तहत कर्ज सीमा सात फरवरी तक के लिए बढ़ाई गई। हर सरकार खर्च चलाने के लिए ऋण लेती है और कई देशों में ऋण की सीमा है। अमेरिका में सीमा मई में खत्म हो गई थी और उसके बाद दूसरे उपायों से काम चलाया जा रहा था। 17 अक्टूबर को इन उपायों का असर खत्म हो रहा था। इसके बाद सरकार के पास केवल 30 अरब डॉलर नकद और करों की रकम शेष रह जाती। ❑

देश में 103 अरबपति

वेल्थ–एक्स और यूबीएस अरबपति जनगणना रपट 2013 के अनुसार भारत के अरबपतियों की तादाद 5.5 प्रतिशत घटकर 103 रह गई और अरबपतियों की कुल संपत्ति 10 अरब डॉलर घटकर 180 अरब डॉलर रह गई। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अरबपतियों की आबादी बढ़ी है। जुलाई 2012 से जून 2013 के बीच वैश्विक स्तर पर अरबपतियों की संख्या 0.5 प्रतिशत तथा संपत्ति 5.3 प्रतिशत बढ़ी है। रिपोर्ट के अुनसार फ्रांस, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड और हांगकांग देशों से अधिक अरबपति भारत में हैं। अति धनाढ़य लोगों की संख्या की दृष्टि से देश विश्व में छठे नंबर पर है। अकेले मुंबई में 30 अरबपति हैं जिसे देश की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। शहरी अरबपतियों के सूची में मुंबई पहले पांच शहरों में है। इस सूची में न्यूयार्क शीर्ष पर है जहां 96 अरबपति हैं। शीर्ष पांच शहरों में शामिल हांगकांग, मास्को और लंदन में क्रमशः 75, 74 और 67 अरबपति रहते हैं। भारत में जुलाई 2012 से जून 2013 के बीच अरबपतियों की संख्या घटी है, लेकिन 103 अरबपतियों के साथ शीर्ष देशों की सूची में छठे स्थान पर है। रिपोर्ट के सूची में सबसे ऊपर अमेरिका हैं जहां 515 अरबपति हैं और यह तादाद चीन के 157 अरबपतियों के मुकाबले तिगुनी है। जर्मनी, अमेरिका और रूस पांच शीर्ष देशों में शामिल हैं जहां क्रमशः 148, 135 और 108 अरबपति हैं। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो वर्ष 2013 में 2,170 अरबपति हैं जिनकी शुद्ध सम्पत्ति 6500 अरब डॉलर के बराबर है। यह राशि अमेरिका और चीन को छोड़कर अन्य देशों के सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है। भारत में अरबपतियों की शुद्ध सम्पत्ति औसतन 1.7 अरब डॉलर है और उनमें से आधे अपने दम पर अरबपति बने हैं। रिपोर्ट में कहा गया सिर्फ 3 फीसदी भारतीय अरबपति महिलाएं हैं। ❑

गोल्डमैन साक्स ने भी कहा नरेंद्र मोदी ही बनेंगे पीएम

नरेंद्र मोदी फैक्टर ने गोल्डमैन साक्स को भारत पर नजरिया बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। ग्लोबल इनवेस्टमेंट बैंक ने भारत की रेटिंग बढ़ाकर 'मार्केटवेट' कर दी है। पहले उसने यहां के शेयर बाजार को 'अंडरवेट' रेटिंग दी थी। उसने निफ्टी के लिए 2014 के अंत तक 6,900 का टारगेट तय किया है। यह अभी से 10 फीसदी ज्यादा है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है, अभी भारत हायर करेंट एकाउंट और फिस्कल डेफिसिट, ज्यादा महंगाई दर और सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जैसी मुश्किलों का सामना कर रहा है। हालांकि, अगले साल केंद्र में सत्ता बदलने की उम्मीद इन पर भारी पड़ रही है। माना जा रहा है कि मई 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की अगुवाई में केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी। इसमें यह भी कहा गया है, इक्विटी इनवेस्टर्स बीजेपी को बिजनस फ्रेंडली मानते हैं। ❑

इंजीनियरिंग में भारत बना विदेशी कंपनियों की पसंद

वैमानिक इंजीनियरिंग जैसे उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों का विनिर्माण करने वाली इकाईयां चीन की बजाय अब भारत पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इसकी एक बड़ी वजह चीन में उत्पादन लागत में बढ़ोतरी है। देश का इंजीनियरिंग निर्यात एवं संवर्द्धन परिषद (ईईपीसी) इसे कारोबार बढ़ाने के अवसर के रूप में देख रहा है। ❑

मंगल की ओर भारत के कदम

देश के बहुप्रतीक्षित मंगलयान का 5 अक्टूबर दोपहर 2.38 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से प्रक्षेपण किया गया। इस मंगलयान को पीएसएलवी–सी 25 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया। इसरो के अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्णन ने मिशन में भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता के लिए बधाई दी।

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन ने कहा कि मंगलयान का प्रक्षेपण हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर साबित होगा।

इसरो के इस मिशन का आधिकारिक नाम 'मार्स ऑर्बिटर मिशन' है जिसे मंगलयान कहा गया है।

इस मिशन की सफलता के बाद भारत की गिनती दुनिया के उन स्पेस एजेंसियों में हो जाएगी जो मंगल पर सफल अभियान चला चुके है। अब तक अमरीका, रूस और यूरो संघ ने ही मार्स पर सफलता पायी है।

मॉस ऑबिटर मंगल पर पहुंचने के लिए 20 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करेगा।

इसरो के अनुसार यह प्रेक्षपण अभियान का एक हिस्सा है। अंतरीक्ष अभियान का दायरा अभी काफी लंबा और जटिल है। इसमें विशेष कर दो तिथियों पर ज्यारा ध्यान देना होगा – पहला, 1 दिसम्बर 2013 जब मंगल ग्रह के लिए रवाना होगा। दूसरा, 24 सितम्बर, 2014 जब यान मंगल की कक्षा में प्रवेश करेगा।

विदेशी बैंक करेंगे निजी बैंक का अधिग्रहण

रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाइयों को देश में निजी बैंकों का अधिग्रहण करने और कहीं भी शाखाएं खोलने की अनुमति दे दी है। रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार विदेशी बैंक की सहायक इकाइयों द्वारा अधिगृहीत किए जाने वाले निजी बैंकों में उन्हें 74 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही स्थानीय तौर पर गठित बैंकिंग कंपनी के तौर पर विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाइयों के साथ लगभग घरेलू बैंकों की तरह राष्ट्रीय स्तर का व्यवहार किया जाएगा। रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों में यह भी कहा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली को विदेशी बैंकों के संभावित वर्चस्व से बचाने के लिए रूपरेखा के इस ढांचे में उनके विस्तार पर अंकुश लगाने के भी कुछ उपाय किए गए हैं। ❑

10 अरब डॉलर कर्ज देगा एशियाई विकास बैंक

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) अगले पांच साल 2017 तक भारत को हर साल दो अरब डॉलर का कर्ज उपलब्ध कराएगा। एडीबी भारत को यह कर्ज रोजगार के सृजन, निवेश सुधारों को प्रोत्साहन तथा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ❑

पूरे नहीं हो सकेंगे भारत में विकास लक्ष्य

संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में गरीबी घटाने, भुखमरी मिटाने तथा सबको शिक्षा उपलब्ध कराने जैसे आठ लक्ष्य तय किए थे। जिन्हें 2015 तक हासिल करना है। वही भारत सरकार का आकलन है कि भारत इनमें से कई लक्ष्यों को समय पर हासिल नहीं कर सकेगा। सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 'सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल करने की ओर भारत 2013' पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि मौजूदा स्थिति में वर्ष 2015 तक सभी सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएंगे। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में गरीबी, नवजात तथा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में गिरावट से कुछ लक्ष्य हासिल होने की उम्मीद जागी है लेकिन आज भी असमानता, कुपोषण, प्राथमिक शिक्षा, गैर–कृषि क्षेत्र के रोजगार में महिला–पुरुषों के लिए समान मजदूरी दर सुनिश्चित करना, बाल मृत्यु को कम करना जैसी अनेक चुनौतियां मुंहबाये खड़ी है। ❑

केदारनाथ की सुरक्षा के लिए मंदाकिनी का रुख बदला जाए

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भविष्य में केदारनाथ मंदिर को भीषण प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए मंदाकिनी नदी का रुख बदला जाए। रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ में नदी की तलहटी ऊंची और ग्रामीण इलाके नीचे हो गए है। इसलिए मंदाकिनी का रुख बदलने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा मंदिर की सुरक्षा के लिए जीएसआई या वन विभाग की सलाह पर भी गौर किया जाना चाहिए। ❑

खाना बर्बाद करने में भारत अव्वल

इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (ब्रिटेन) की एक रिपोर्ट 'ग्लोबल फूड : वेस्ट नॉट, वांट नॉट के अनुसार दुनियाभर में खाना बर्बाद करने में भारत की सबसे बड़ी भूमिका है। वही डेनमार्क सबसे कम खाना बर्बाद करता है।

रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल फल और सब्जी उत्पादन का 40 प्रतिशत हिस्सा बर्बाद होता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बेहतर रख–रखाव और वितरण संबंधी समस्याएं अन्य देशों की तुलना में कुछ ज्यादा ही है। मैकेनिकल इंजीनियर्स के प्रमुख टिम फॉक्स के अनुसार भारत में खराब रख–रखाव और वितरण संबंधी दिक्कतों की वजह से हरसाल करीब दो करोड़ टन गेहूं बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज की कमी से 40 प्रतिशत फल और सब्जियां खेत से उपभोक्ता तक पहुंचते–पहुंचते बर्बाद हो जाते है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया में 4 अरब टन भोजन की उत्पादन होता है लेकिन उसमें 1.2–2 अरब टन भोजन हर साल बर्बाद हो जाता है। वही रिपोर्ट में दूध उत्पादन में भारत का पहला और फल–सब्जी उत्पादन में तीसरा स्थान दिया गया है। ❑

देश की साख पर खतरा बरकरार

वैश्विक रेटिंग स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एसएंडपी) ने कहा है कि आम चुनाव के बाद बनने वाली सरकार आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने की विश्वसीय योजना पेश करने में विफल रहती है तो भारत की सॉवरेन रेटिंग (साख) घट सकती है। ❑

सरदार पटेल की विरासत

जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 552 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। जूनागढ़ का नवाब जनविद्रोह के कारण स्वयं पाकिस्तान भाग गया था। जूनागढ़ के विलय के बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम की हेकड़ी भी निकाल दी। एक कुशल प्रशासक होने के कारण कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें 'लौह पुरुष' के रूप में भी याद करता है। इन देसी रियासतों को जोड़कर उन्होंने भारत की कालजयी संस्कृति और सभ्यता को एक मूर्त रूप दिया।

■ बलवीर पुंज

पिछले दिनों गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने के लिए हुए शिलान्यास के साथ ही कांग्रेस ने विवाद छेड़ दिया। आरोप लगाया गया कि सरदार पटेल की विरासत को भारतीय जनता पार्टी अगवा करना चाहती है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या भारत के महापुरुषों को जातिगत और दलगत दृष्टि से देखना चाहिए?

भगवान राम, श्रीकृष्ण से लेकर शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, वीर सावरकर आदि न तो कभी जनसंघ के सदस्य रहे और न कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। क्या भाजपा कार्यकर्ताओं को इन महान विभूतियों को स्मरण करने और उन्हें प्रेरणास्रोत मानने का अधिकार नहीं है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और कांग्रेस का हमेशा छत्तीस का आंकड़ा रहा। अपने जीवनकाल में उन्होंने कभी भी गांधीजी और पंडित जवाहर लाल नेहरू को अपना नेता नहीं माना। आज दलितों के साथ शेष समाज उन्हें आदरपूर्वक संविधान निर्माता के रूप में देखता है। उन्होंने अपने जीवनकाल में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी तो क्या उनकी विरासत पर केवल इंडिपेंडेंट लेबर और रिपब्लिकन पार्टी का अधिकार है?

वास्तव में कांग्रेस आजादी से पूर्व एक राजनीतिक दल कम और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन अधिक थी, जिसमें हिंदू महासभा, समाजवादी से लेकर हर तरह की विचारधारा के लोग सम्मिलित थे। यह भी ऐतिहासिक तथ्य है कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू दोनों का चिंतन और भारतीय इतिहास के प्रति दृष्टिकोण बहुत से मामलों में अलग–अलग था, परंतु देश की स्वाधीनता प्राप्ति का साझा लक्ष्य उन्हें साथ बांधे हुए था। जहां पंडित नेहरू समाजवादी और वामपंथी विचारधारा के चश्मे से भारत और शेष विश्व को देखते थे, वहीं पटेल का मानस विशुद्ध रूप से भारत की सनातन संस्कृति और राष्ट्रवाद से प्रेरित था।

भारत की बहुलतावादी सनातन संस्कृति में आस्था के कारण सरदार पटेल सही मायनों में सेक्युलर थे, किंतु उनकी पंथनिरपेक्षता वोट बैंक से प्रभावित नहीं थी। उनका सेक्युलरवाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में आड़े नहीं आया, जिसका पंडित नेहरू ने विरोध किया था। यदि पटेल ने दृढ़ता नहीं दिखाई होती तो आज सोमनाथ का मसला भी अयोध्या की तरह विवादित बना रहता। पटेल आस्थावान थे। दूसरों की आस्था का सम्मान करते थे, किंतु देशहित और भारत की सनातन परंपरा की कीमत पर नहीं।

भारत की बहुलतावादी सनातन संस्कृति में आस्था के कारण सरदार पटेल सही मायनों में सेक्युलर थे, किंतु उनकी पंथनिरपेक्षता वोट बैंक से प्रभावित नहीं थी। उनका सेक्युलरवाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में आड़े नहीं आया, जिसका पंडित नेहरू ने विरोध किया था। यदि पटेल ने दृढ़ता नहीं दिखाई होती तो आज सोमनाथ का मसला भी अयोध्या की तरह विवादित बना रहता। पटेल आस्थावान थे। दूसरों की आस्था का सम्मान करते थे, किंतु देशहित और भारत की सनातन परंपरा की कीमत पर नहीं।

पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने पटेल के वैचारिक अधिष्ठान को उनकी मृत्यु के साथ ही तिलांजलि दे दी और योजनाबद्ध ढंग से उन्हें विस्मृत करने का षडयंत्र भी रचा।

आश्चर्य नहीं कि केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित दर्जनों योजनाओं में से केवल एक सरदार पटेल के नाम पर है और लगभग बाकी सभी नेहरू–गांधी वंश को समर्पित हैं। शाहबानो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटना, मुसलमानों के लिए समान नागरिक संहिता नहीं बनाना, हज सब्सिडी, मदरसों के लिए अनुदान, मुल्ला–मौलवियों को मुसलमानों

के नेता के रूप में स्वीकार करना, मजहब के आधार पर आतंकियों को छोड़ना और उनके पक्ष में विधानसभा का सत्र बुलाकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करना, इन सबके लिए पटेल के सेक्युलरवाद में कोई स्थान नहीं है।

सरदार पटेल मजहब के आधार पर नागरिकों में भेदभाव के खिलाफ थे। क्या कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक बाद से जिन लोगों को पंडित नेहरू का प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन प्राप्त था, वे सरदार पटेल के न केवल घोर आलोचक थे, बल्कि उन्हें फासीस्ट, सांप्रदायिक, मुस्लिम विरोधी जैसे संबोधनों से नवाजते थे। कुछ इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग आज नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए होता है? इसका कारण स्पष्ट है कि संघ परिवार के वैचारिक अधिष्ठान की मूल प्रेरणा भारत की सनातन संस्कृति है, जिससे सरदार पटेल भी प्रेरित थे। चीन की तिब्बत और उसके बाद भारत पर कुदृष्टि है। इस पर अन्य राष्ट्रनिष्ठ लोगों के अतिरिक्त सरदार पटेल और तत्कालीन सरसंघचालक माधवराव सदाशिव गोलवलकर ने देश का ध्यान खींचा था, परंतु वामपंथियों के आभामंडल से प्रभावित पंडित नेहरू ने उसकी अनदेखी की और परिणामस्वरूप सन 1962 में भारत को चीन के हाथों अपमानजनक पराजय का मुंह देखना पड़ा था।

कश्मीर की समस्या पंडित नेहरू की अदूरदर्शिता का जीवंत प्रमाण है। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह प्रारंभ में दुविधाग्रस्त थे, किंतु पाकिस्तानी सेना के समर्थन से जब कबीलाइयों ने प्रांत पर हमला कर दिया तो उन्होंने भारत में विलय की लिखित रजामंदी समय से भेज दी थी, किंतु पंडित नेहरू ने कश्मीर का मसला अपने हाथ में रख लिया था, जिसमें सरदार पटेल का हस्तक्षेप न्यूनतम था। शेख अब्दुल्ला की देशघाती गतिविधियां सरदार पटेल से छिपी नहीं थीं और उन्होंने पंडित नेहरू को आगाह करने की कोशिश की थी, किंतु शेख अब्दुल्ला के प्रति अतिरिक्त अनुराग के कारण पंडित नेहरू ने उनकी एक न सुनी। अगर पटेल न होते तो शायद कश्मीर की तरह देश में कई अन्य इस तरह के रक्तरंजित विवाद नासूर

बनकर हमें पीड़ा देते।

पंडित नेहरू और सरदार पटेल, दोनों ही करीब 75 वर्ष तक जीवित रहे। सरदार पटेल की मृत्यु पर मैनचेस्टर गार्जियन ने लिखा था, 'एक ही व्यक्ति विद्रोही और राजनीतिज्ञ के रूप में कभी–कभी ही सफल होता है। इस संबंध में पटेल अपवाद थे।' भारत के रक्तरंजित विभाजन के दौरान देसी रियासतों के विलय के प्रश्न पर उन्होंने जैसी राजनीतिक दृढ़ता व दूरदर्शिता दिखाई, वह उनके समकालीन राजनेताओं में बहुत कम में नजर आती है। तब उनके करिश्माई नेतृत्व पर लंदन टाइम्स ने लिखा था, 'भारतीय रियासतों के एकीकरण का उनका कार्य उन्हें बिस्मार्क और संभवतया उनसे भी ऊंचा स्थान प्रदान करता है।' उनके बारे में विन्स्टन चर्चिल का कहना था, 'ऐसे व्यक्ति को भारत की सीमाओं के भीतर खुद को सीमित नहीं रखना चाहिए, पूरी दुनिया उनके बारे में और अधिक सुनने की हकदार है।'

गुजरात सरकार द्वारा स्थापित होने वाली सरदार पटेल की प्रतिमा, 'स्टेच्यु ऑफ यूनिटी' विश्व में सबसे ऊंची होगी। असल में तो आज एकीकृत भारत सरदार पटेल का सबसे बड़ा स्मारक है। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर को छोड़कर 552 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। जूनागढ़ का नवाब जनविद्रोह के कारण स्वयं पाकिस्तान भाग गया था। जूनागढ़ के विलय के बाद सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम की हेकड़ी भी निकाल दी। एक कुशल प्रशासक होने के कारण कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें 'लौह पुरुष' के रूप में भी याद करता है। इन देसी रियासतों को जोड़कर उन्होंने भारत की कालजयी संस्कृति और सभ्यता को एक मूर्त रूप दिया। 'स्टेच्यु ऑफ यूनिटी' सरदार पटेल के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता को ही प्रकाशमान करती है। ❑

समस्या

हादसों को रोकने के लिए बने रणनीति

इक्कीसवीं सदी में आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति का दावा करने वाले इस देश से ऐसी खबरें जब बाहर जाती हैं तो वह जगहंसाई का ही कारण बनती हैं। लिहाजा, अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए केंद्र के स्तर पर मुकम्मल रणनीति बनाई जाए। ठीक वैसे ही, जैसे ओडिशा में आए भयंकर चक्रवाती तूफान और सुनामी के बाद केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन की दिशा में काम किया, अब ऐसे हादसों पर लगाम के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए।

■ उमेश चतुर्वेदी

12 अक्टूबर की रात जब ओडिशा और आंध्र प्रदेश की समुद्री सीमाओं वाले इलाकों में खतरनाक नजर आ रहे फेलिन तूफान ने दस्तक दी तो डर और बेचैनी के बीच रात बीतने का इंतजार किया जा रहा था। बेचैनी इसलिए कि लोगों को 25 अक्टूबर 1999 को आए ऐसे ही तूफान की याद थी, जिसमें अनुमान के मुताबिक दस हजार लोगों की जानें गई थीं। लेकिन सुबह हुई और जैसे–जैसे उजाला होता गया, पता चला कि तूफान ने संपत्ति की तो जमकर तबाही मचाई, लेकिन जानी नुकसान उतना नहीं रहा, जिसका डर था। लेकिन 13 अक्टूबर की दोपहर तक राहत की इस खबर से देश सुकून महसूस कर ही रहा था कि मध्य प्रदेश के दतिया से आई खबरों ने लोगों को हिला दिया।

देश के महत्वपूर्ण त्योहार के रंग में डूबे देश के लिए यहां रतनगढ़ मंदिर से आई भगदड़ की खबरों और उसमें सौ से ज्यादा लोगों की मौत ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि जो देश तीन सौ किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाले तूफान से अपने लोगों को बचा सकता है, वहीं वह ऐसी जगहों पर साल–दर–साल जाने वाली मासूम लोगों की जानों को क्यों नहीं बचा सकता।

सवाल इसलिए भी ज्यादा गंभीर और सोचनीय हो गया है, क्योंकि जहां ज्यादा मौतों की आशंका थी, वहां से राहत की खबरें आईं और जहां मात्र थोड़ा–सा इंतजाम किया जा सकता था, वहां 115 मासूम लोग मौत के मुंह में चले गए और प्रशासन देखता रह गया।

दतिया के रतनगढ़ मंदिर में कोई पहली बार हादसा नहीं हुआ है। इसके पहले वर्ष2006 में भी इसी जगह इन्हीं नवरात्रों में कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। उस समय यहां की सिंध नदी को पार करके श्रद्धालु इसी मंदिर में जा रहे थे कि प्रशासन ने बिना कोई चेतावनी दिए शिवपुरी जिले के मनखेड़ा बांध से पानी छोड़ दिया और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पचास लोग बह गए थे। इसके बाद ही सूखी–सी दिखने वाली सिंध नदी पर पुल बनवाया गया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बना यही पुल इस बार उनकी जान के लिए खतरनाक बन गया।

अभी ज्यादा दिन नहीं बीते कि इसी साल इलाहाबाद के कुंभ में स्टेशन पर मची भगदड़ में 37 लोगों की जान चली गई थी। ठीक साल भर पहले पटना में गंगा के किनारे छठ घाट पर जा रहे लोगों के चलते पुल टूट गया, जिसमें 18 की मौत हो गई थी। उसके एक साल पहले केरल के सबरीमाला मंदिर में भगदड़ मची और आधिकारिक तौर पर 104 लोगों की मौत हुई।

इसके एक साल पहले प्रतापगढ़ के कृपालु जी के मंदिर में भोज के दौरान भगदड़ मची और 63 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

हाल के दिनों में भगदड़ में सबसे ज्यादा जान गई जोधपुर के मंदिर में। 30 सितंबर 2008 को हुई इस भगदड़ में 224 लोगों की मौत हुई थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले दस साल में

बिहार के मधुबनी जिले में मंदिर के ही पास स्थित रेलवे स्टेशन पर भीड़ एक एक्सप्रेस के नीचे आ गई, जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं दस–बारह सालों में मेले, मंदिरों के पास भगदड़ और उसमें जानी नुकसान हो रहा है। अव्वल तो होना चाहिए कि ऐसे नुकसानों को रोकने के लिए मुकम्मल राष्ट्रीय नीति बनाई जाती, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। चूंकि अपने संविधान के मुताबिक कानून और व्यवस्था का मामला राज्य का विषय है, लिहाजा ऐसे जानी नुकसानों के बाद केंद्र सरकार सिर्फ शोक जताकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है।

सिर्फ भगदड़ में ही 976 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यह बात और है कि हादसों से प्रभावित लोगों का मानना है कि इससे भी कहीं ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं।

इसी साल चैत्र नवरात्र में बिहार के मधुबनी जिले में मंदिर के ही पास स्थित रेलवे स्टेशन पर भीड़ एक एक्सप्रेस के नीचे आ गई, जिसमें भारी जानी नुकसान हुआ। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं दस–बारह सालों में मेले, मंदिरों के पास भगदड़ और उसमें जानी नुकसान हो रहा है। अव्वल तो होना चाहिए कि ऐसे नुकसानों को रोकने के लिए मुकम्मल राष्ट्रीय नीति बनाई जाती, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। चूंकि अपने संविधान के मुताबिक कानून और व्यवस्था का मामला राज्य का विषय है, लिहाजा ऐसे जानी नुकसानों के बाद केंद्र सरकार सिर्फ शोक जताकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेती है।

इक्कीसवीं सदी में आर्थिक और तकनीकी महाशक्ति का दावा करने वाले इस देश से ऐसी खबरें जब बाहर जाती हैं तो वह जगहंसाई का ही कारण बनती हैं। लिहाजा, अब जरूरत इस बात की है कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए केंद्र के स्तर पर मुकम्मल रणनीति बनाई जाए। ठीक वैसे ही, जैसे ओडिशा में आए भयंकर चक्रवाती तूफान और सुनामी के बाद केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन की दिशा में काम किया, अब ऐसे हादसों पर लगाम के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए।

आपदा प्रबंधन तंत्र और सूचनाएं होने के बाद भी इसी साल 16 जून को उत्तराखंड जैसा हादसा हुआ, लेकिन यह मामला लापरवाही का ज्यादा था। लेकिन उसकी जवाबदेही किसी पर तय नहीं की गई। अव्वल तो ऐसे मामलों के लिए जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए। भगदड़ जैसे मामलों में देखा गया है कि ऐसे आयोजनों को स्थानीय प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता। फिर उसके प्रशिक्षण में ही खोट है। उसके लिए आम आदमी की सुरक्षा कोई बड़ा मुद्दा और जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे मौकों पर स्थानीय वीआईपी अगर आ जाते हैं तो वहां तैनात पुलिस वाले भीड़ को रोक कर उस वीआइपी को मंदिर दर्शन कराने में जुट जाते हैं।

जरूरत इस बात की है कि प्रशासनिक तंत्र को निचले स्तर पर भीड़ से निपटने और उसका इंतजाम करने की ट्रेनिंग दी जाए। साल–दर साल हो रही ऐसी अमानवीय और मध्ययुगीन घटनाओं पर रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यनीति बनाई जाए।

दुर्भाग्यवश यह भी हकीकत है कि अपना प्रशासनिक तंत्र दूरगामी और कल्पनाशील नहीं है। वह बंधे–बंधाए ढर्रे पर ही काम करता है। उसके लिए आम आदमी की जान बचाने के लिए भाव ही नहीं है। ऐसे जगहों पर आम तौर पर देखा जाता है कि भगदड़ या भीड़ से परेशानी बढ़ने वाली जगहों पर भीड़ को जाने से उस जगह पर रोका जाता है, जहां भीड़ जुट जाती है। जहां से भीड़ आ रही है और जिन रास्तों से वह गुजर रही है, होना तो यह चाहिए कि उसे पीछे ही जगह–जगह रोका जाए।

सबसे बड़ी बात कि दिल्ली जैसी जगहों पर दुर्गापूजा पंडालों या राजनीतिक आयोजनों में जाते वक्त पुलिस का ऐसा ही रवैया नजर आता है। वह भीड़ को रोकने की कोशिश वहां करती है, जहां भीड़ का पहुंचने का मकसद होता है। वह शुरुआत में नहीं रोकती। नतीजतन होता यह है कि पीछे से भीड़ का दबाव बढ़ता जाता है और इसी बीच रुकी भीड़ चकल्लस में कुछ बोल देती है और देखते ही देखते ही यह अफवाह फैल जाती है। फिर उस अफवाह के मद्देनजर लोग जब भागना शुरू करते हैं तो पुलिस और प्रशासनिक तंत्र के लिए काबू पाना मुश्किल हो जाता है। परिणाम यह होता है कि मासूम पैरों के नीचे कुचले जाते हैं।

रतनगढ़ में भी पुलिस की यही लापरवाही सामने आई है। उसने पुल पर गाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रालियों को जाने से नहीं रोका और भीड़ बढ़ गई। फिर हमारे पुलिस तंत्र को इंतजाम के बजाय भीड़ पर काबू पाने का आसान नुस्खा लाठी चलाने का औपनिवेशिक तरीका ही नजर आता है। ऐसे में भगदड़ और बढ़ जाती है। नतीजा, कभी जोधपुर तो कभी इलाहाबाद तो कभी हरिद्वार तो कभी रतनगढ़ में भयानक हादसे के रूप में नजर आता है। बेशक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन शक है कि असल दोषी भी इस जांच में जिम्मेदार साबित किए जा सकेंगे। अगर जांच में दोषी पाए गए कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए वह कार्रवाई नजीर बन सकेगी। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि प्रशासनिक तंत्र को निचले स्तर पर भीड़ से निपटने और उसका इंतजाम करने की ट्रेनिंग दी जाए। साल–दर साल हो रही ऐसी अमानवीय और मध्ययुगीन घटनाओं पर रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यनीति बनाई जाए। ❑

अब नेता नहीं, कानून का राज चलेगा

अफसरों की कमर तोड़ने में तबादले के हथियार का भी जमकर इस्तेमाल होता है। हरियाणा और उत्तरप्रदेश में हाल में दो–तीन अफसरों के साथ नेताओं ने जैसा बर्ताव किया, सारे देश ने उसे देखा, लेकिन कोई कुछ न कर सका। अनेक राज्य सरकारों ने अफसरों का एक पद से दो साल तक तबादला नहीं करने का नियम बना रखा है, लेकिन वे उसका पालन नहीं करतीं। कई राज्यों में बड़े अफसरों का तबादला औसतन हर साल हो जाता है। अब तबादला नीति बन जाने से अफसर अपना काम डटकर कर सकेंगे।

■ **डॉ. वेदप्रताप वैदिक**

हमारे लोकतंत्र की विडंबना देखिए कि जो काम संसद और सरकार को करना चाहिए, वह काम हमारा सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है। दूसरों शब्दों में संख्या बल पर बुद्धिबल और चरित्रबल भारी पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजातरीन निर्णय को यदि लागू कर दिया गया तो हमारी सरकारों और नौकरशाही के चरित्र और आचरण में जमीन–आसमान का अंतर आ जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में तीन प्रमुख बातें कही हैं। एक तो मंत्रियों के सारे आदेश लिखित होने चाहिए। कोई भी नौकरशाह मौखिक आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा। दूसरा, नौकराशाहों का मनमाना स्थानंतरण नहीं होगा। उनकी अवधि तय करनी होगी। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकारों के सारे बड़े अफसरों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण आदि के लिए एक सिविल सर्विस बोर्ड नियुक्त किया जाए। न्यायालय ने सरकारों से कहा है कि इस मामले में संसद कानून बनाए, उसके पहले ही तीन महीने के अंदर वे बोर्ड की स्थापना कर दें।

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय देश के लगभग 80 प्रसिद्ध और अनुभवी नौकरशाहों की एक याचिका के जवाब में आया है। इन नौकरशाहों के कुल अनुभवों को समय के हिसाब से तौला जाए तो इन्हें कुल मिलाकर 3000 साल का अनुभव है। इनमें से ज्यादातर नौकरशाह अपनी ईमानदारी, दक्षता और निर्भीकता के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, जो अपने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के गुस्से के शिकार हुए हैं, लेकिन जिन्होंने बिगाड़ के डर से अपना ईमान नहीं छोड़ा था। इन नौकरशाहों ने काम–काज को सुधारने के लिए पिछले जितने आयोग बने थे और जिनकी रिपोर्टें धूल चाट रही थीं, उन सबका हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की अपील की थी।

अब सरकार के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं रह गया है। अदालत को नेताओं के पैंतरों का पता है। इसीलिए उसने उनकी बहानेबाजी और टालमटोल का इलाज पहले से कर दिया है। यदि संसद में कानून बनाने में वे आनाकानी करेंगे तो सिविल सर्विस बोर्ड तो तीन माह में ही अपना काम शुरू कर देंगे।

अब सरकार के पास बच निकलने का कोई रास्ता नहीं रह गया है। अदालत को नेताओं के पैंतरों का पता है। इसीलिए उसने उनकी बहानेबाजी और टालमटोल का इलाज पहले से कर दिया है। यदि संसद में कानून बनाने में वे आनाकानी

करेंगे तो सिविल सर्विस बोर्ड तो तीन माह में ही अपना काम शुरू कर देंगे। यदि सरकार इस मामले में एक सख्त और विस्तृत कानून बनवाने में सफल हो गई तो वह सूचना का अधिकार, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा आदि की तरह इसका भी श्रेय लेने की कोशिश करेगी, लेकिन इसका श्रेय मूल रूप से देश की न्यायपालिका को मिलेगा, क्योंकि जो आदेश अब न्यायपालिका ने दिया है, उसी मंतव्य के अनेक विस्तृत सुझाव पहले भी कई आयोग दे चुके हैं। यह सरकार ही नहीं, पिछली सभी सरकारों ने संथानम आयोग (1962), झा आयोग (1986), होता कमेटी (2004) तथा वीरप्पा मोइली कमेटी (2012) के सुझावों की अनदेखी की है। वर्ष 2007 में वह प्रशासनिक सुधार के लिए एक विधेयक भी लाई, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे पास करवा सके।

आजादी के 66 साल तक हमारा लोकतंत्र अपनी सरकारी मशीनरी को क्यों नहीं सुधार पाया? ऐसा नहीं है कि हमारे नेता नासमझ हैं। ऐसा भी नहीं है कि जब कोई आयोग बताएगा तभी वे समझेंगे कि प्रशासन में क्या–क्या सुधार करने हैं। वे हर बात खूब अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेजों से बनी–बनाई ऐसी नौकरशाही हाथ लगी थी कि जिसका उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं था बल्कि उस पर हुकूमत करना था। उसका नाम सिविल सर्विस (नागरिक सेवा) था, लेकिन उसका काम 'कॉलोनियल गवर्नेंस' (औपनिवेशिक हुकूमत) करना था। अब सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला हमारी नौकरशाही के मूल चरित्र को बदलने में सहायक सिद्ध होगा।

हमारे नेताओं का कर्तव्य था कि देश के आजाद होते ही वे नौकरशाही के स्वरूप को बदलते, लेकिन देश की जनता ने देखा कि उसका 'नौकर' तो कोई नहीं है। हां, असंख्य 'शाह' उसकी छाती पर सवार हैं। ये सरकारी शाह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इनके अपने जी–हुजूर होते हैं, दलाल होते हैं और दरबार होते हैं। ये वे सारे काम करते हैं, जो किसी भी नौकरशाह के लिए करना अनुचित है।

हमारे नेताओं का कर्तव्य था कि देश के आजाद होते ही वे नौकरशाही के स्वरूप को बदलते, लेकिन देश की जनता ने देखा कि उसका 'नौकर' तो कोई नहीं है। हां, असंख्य 'शाह' उसकी छाती पर सवार हैं। ये सरकारी शाह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इनके अपने जी–हुजूर होते हैं, दलाल होते हैं और दरबार होते हैं। ये वे सारे काम करते हैं, जो किसी भी नौकरशाह के लिए करना अनुचित है। इनकी सारी बुराइयों पर परदा क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि ये बड़े बाबू मंत्रियों के चाटुकार बन जाते हैं। मंत्रियों के घनघोर आपत्तिजनक आदेशों को ही नहीं, उनकी इच्छाओं को भी पूरा करने में ये जी–जान से जुट जाते हैं। वे मंत्रियों के गरकानूनी और अनैतिक आदेशों को मानने से इनकार क्या करेंगे? वे उन्हें लागू करने के लिए दर्जनों चोर दरवाजे खोल देते हैं। बदले में मंत्री उन्हें खुली छूट दे देते हैं।

उसी का नतीजा है कि देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह भ्रष्टाचार पकड़ा न जाए, किसी सूचना के अधिकार के तहत पकड़ा न जाए, इसकी सबसे अच्छी तरकीब यह है कि कोई आदेश, जो आपत्तिजनक हो, कागज पर लिखा ही नहीं जाए। यदि किसी रिश्वत, किसी गोलीकांड, किसी फर्जी मुठभेड़, किसी ठेके को लेकर हल्ला मचे तो मंत्रीजी यह कहकर बच निकलते हैं कि यह निर्णय तो अफसरों ने मौके पर लिया है और उन लोगों ने परिस्थिति के गुण–अवगुण पर विचार करके ही लिया होगा। अब आप अफसरों को कैसे पकड़ेंगे? अब अदालत ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि हर फैसले की जिम्मेदारी किसकी है, यह तय करना आसान होगा। ईमानदार अफसरों को अब डर के मारे फिसलने की मजबूरी नहीं रहेगी।

अफसरों की कमर तोड़ने में तबादले के हथियार का भी जमकर इस्तेमाल होता है। हरियाणा और उत्तरप्रदेश में हाल में दो–तीन अफसरों के साथ नेताओं ने जैसा बर्ताव किया, सारे देश ने उसे देखा, लेकिन कोई कुछ न कर सका। अनेक राज्य सरकारों ने अफसरों का एक पद से दो साल तक तबादला नहीं करने का नियम बना रखा है, लेकिन वे उसका पालन नहीं करतीं। कई राज्यों में बड़े अफसरों का तबादला औसतन हर साल हो जाता है। अब तबादला नीति बन जाने से अफसर अपना काम डटकर कर सकेंगे।

इसी प्रकार अफसरों की नियुक्ति, पदोन्नति, पदावनति, सजा, अनुशासन आदि के नियम तो बने हुए हैं, लेकिन उन्हें लागू करने में काफी स्वेच्छाचार होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप के असंख्य उदाहरण हमारे सामने आते हैं। अब सिविल सर्विस बोर्ड बन जाने पर अफसरों को काफी राहत मिलेगी और देश में नेता का नहीं, कानून का शासन मजबूत होगा। ❑

उत्तर प्रदेश में गंगा–यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक

इस रोक पर रजामंदी जरूरी

सच यह है कि जब तक नदियों में खूब प्रवाह था; अविरलता थी; कचरे को खा जाने वाले जीवों की बड़ी संख्या थी, तब तक नदियों में खुद का साफ कर लेने क्षमता थी। नदियां बिना इटीपी और एसटीपी कचरे को खुद साफ कर लेती थी। अब प्रवाह की मात्रा व अविरलता के अभाव में अब नदियां यह क्षमता खो बैठी हैं। अब नजारा बदल गया है। अतः हमें भी अब अपनी नजर और नजरियाा बदलना होगा।

■ **अरुण तिवारी**

आम धारणा है कि मुख्य रूप से उद्योग, सीवेज और शहरी ठोस कचरा मिलकर हमारी नदियों को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण के दूसरों स्रोत कभी किसी बड़े प्रदूषण विरोधी आंदोलन का निशाना नहीं बनें। समाज ने खेती में प्रयोग होने वाले रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों को नदी के लिए कभी बड़ा खतरा नहीं माना। संस्कार व दूसरे धार्मिक कर्मकाण्डों में प्रयोग होने वाली सामग्रियों के कारण नदियों का कुछ नुकसान होने की बात का विरोध ही हुआ।

देखने में यही लगता है कि धूप, दीप, कपूर, सिंदूर, रोली–मोली, माला, माचिस की छोटी सी तीली, और पूजा के शेष अवशेष मिलकर भी क्या नुकसान करेंगे इतनी बड़ी नदी का। इसी सोच के कारण हम अपनी आस्था को आगे पाते हैं और नदी की सेहत को पीछे। इसी बिना पर अभी हमारे कुछेक धर्माचार्यों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मूर्ति विसर्जन पर लगाई रोक को उचित नहीं माना।

आदेश

उल्लेखनीय है कि 'इको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन (याचिका संख्या–41310) नामक एक स्थानीय संगठन ने वर्ष 2010 में यमुना के इलाहाबाद स्थित सरस्वती घाट पर मूर्ति विसर्जन पर रोक का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद में गंगा और यमुना दोनों में मूर्ति विसर्जन पर वर्ष–2012 में ही रोक लगा दी थी। उसने इलाहाबाद प्रशासन और विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी कि वह वैकल्पिक स्थान की व्यवस्था कर कोर्ट को सूचित करे। प्रशासन ने समय की कमी का रोना रोते हुए पिछले वर्ष भी यह छूट हासिल की थी कि वह अगले वर्ष वैकल्पिक व्यवस्था कर लेगा। इस वर्ष उसने स्थानीय खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कानून–व्यवस्था बिगड़ने का डर दिखाकर कोर्ट से फिर छूट हासिल कर ली है।

हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वर्ष 2014 से गंगा–यमुना मे मूर्ति विसर्जन पर यह रोक पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगी। इसके लिए उसने गंगा–यमुना प्रवाह मार्ग के जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश व आवश्यक धन जारी करने का निर्देश भी उत्तर प्रदेश शासन को दे दिया है। हालांकि यह रोक देश में पहली नहीं है। अंध श्रद्धा निर्मूलन समिति की आपत्ति पर यह रोक महाराष्ट्र के नागपुर में भी लगाई गई थी। इस दृष्टि से यह रोक अब और भी जरूरी हो गई है। आइए समझते हैं कि क्यों?

दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा और ताजिया नदी में विसर्जन के ये चार मौके होते हैं। भारतीयों के दुनिया भर में फैलने के साथ यह पर्व भी अब दुनियाभर में मनाये जाते हैं। आप चीन में भी दुर्गा पूजा का नजारा देख सकते हैं। जाहिर है कि मूर्तियों की बढ़ती संख्या मूर्ति निर्माण के व्यावसायीकरण का यह एक बड़ा कारण है। इस कारण ही मूर्ति निर्माण का तरीका व इसका विसर्जन आज नदियों, तालाबों और अंततः हमारे जी का जंजाल बन गये हैं।

क्यों जरूरी यह रोक?

सच यह है कि जब तक नदियों में खूब प्रवाह था; अविरलता थी; कचरे को खा जाने वाले जीवों की बड़ी संख्या थी, तब तक नदियों में खुद का साफ कर लेने क्षमता थी। नदियां बिना इटीपी और एसटीपी कचरे को खुद साफ कर लेती थी। अब प्रवाह की मात्रा व अविरलता के अभाव में अब नदियां यह क्षमता खो बैठी हैं। अब नजारा बदल गया है। अतः हमें भी अब अपनी नजर और नजरिया बदलना होगा। नजारा यह है कि आज भारत के पास बतौर नजीर बताने के लिए भी एक ऐसी नदी नहीं, जो किसी शहर से गुजरती हो और उसका पानी पीने लायक हो। जयपुर और दिल्ली ने तो अपनी स्थानीय नदियों के नाम बदलकर क्रमशः अमानीशाह और नजफगढ़ नाला रख दिया है। इस उपेक्षा का ही नतीजा है कि दुनिया की सबसे पवित्र कही जाने वाली गंगा दुनिया की उन प्रथम 10 नदियों में शुमार हो गई है, जिनके खुद के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है।

यमुना में यदि 80 फीसदी प्रदूषण देश की राजधानी दिल्ली का है, तो गंगा

में 48 फीसदी अकेले उत्तर प्रदेश का। गंगा में औद्योगिक प्रदूषण का आंकड़ा कुल प्रदूषण का मात्र 17 प्रतिशत है, किंतु इसका विषैलापन इतना अधिक है कि 80 प्रतिशत सीवेज प्रदूषण इसके आगे कहीं नहीं ठहरता। खेती आदि अन्य स्रोतों से प्राप्त शेष तीन प्रतिशत प्रदूषण को भी आप खतरनाक श्रेणी में रख सकते है। मूर्ति विसर्जन इन अन्य स्रोतों में से एक है।

कैसे प्रदूषक नई सामग्री?

ध्यान करने की बात है कि परंपरागत तौर पर बनने वाली मूर्तियां मिट्टी, रूई, बांस की खप्पचियां, और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती थी। आज इनकी जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस, लोहे की सलाखों, पॉलीस्टर कपड़ों, प्लास्टिक, सिंथेटिक पेंट और कई अन्य सजावटी–दिखावटी सामानों ने ले ली है। मूर्तियों की बढ़ती संख्या और उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुंदर दिखाने के लिहाज से ऐसा हुआ है। जल्दी सूखने की क्षमता के कारण प्लास्टिक ऑफ पेरिस इस्तेमाल बढ़ा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 300 डिग्री फारनेहाइट पर गर्म करके बनाया जाता है। बंजर भूमि का उपजाऊ बनाने में जिप्सम का प्रयोग बहुतायत में होने के कारण यह भ्रम स्वाभाविक है कि जिप्सम लाभप्रद रसायन है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नुकसान देह कैसे हो सकता है। आई.आई.टी., मुंबई के सेंटर फॉर एन्वायमेंट सांइस एंड इंजीनियरिंग के प्रो. श्याम असोलकर का अध्ययन बताता है कि मिट्टी 45 मिनट के अंदर नदी के पानी में घुल जाती है। अधिक पानी के संपर्क में आने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस और सख्त हो जाता है। इस गुण के कारण इसे घुलने में महीनों लग जाते हैं। सिंथेटिक पेंट के साथ मिलकर इसका दुष्प्रभाव का कई गुना बढ़ जाता है। इसी बिना पर गुजरात सरकार ने 23 जनवरी, 2012 में मूर्ति निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस और सिंथेटिक पेंट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। हालांकि राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण ने रोक को राज्य सरकार का अधिकार न बताते हुए कानूनी कारणों से हटा दिया, पर सत्य यही है कि मूर्ति निर्माण की नई सामग्री खतरनाक है।

दुष्प्रभाव प्रमाणित करते अध्ययन

वर्ष 2007 के एक अध्ययन ने भोपाल की ऊपरी झील में मूर्ति विसर्जन के बाद भारी धातु की सांद्रता में 750 प्रतिशत अधिक बढ़ा हुआ पाया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बंगलुरु शहर रिपोर्ट ने धातु की सांद्रता 10 गुनी और तांबा की 200 से 300 गुना अधिक पाई। ऐसे अलग–अलग हुए अध्ययनों में मूर्ति विसर्जन के बात संबंधित स्थान व स्रोत की जैविक–रासायानिक ऑक्सीजन मांग, सुचालकता, भारीपन के अलावा नाइट्रेट, क्रोमियम और सीसा का प्रतिशत बढ़ा हुआ पाया गया। सीसा यानी सिंदूर। महाराष्ट्र का एक अध्ययन प्रमाण है कि मूर्ति विसर्जन के बाद मछलियों के मरने की संख्या बढ़ जाती है। प्रदूषण के विष से मरी ऐसी मछलियों को खाने से लोगों के शरीर में खतरनाक बीमारियों का जन्म स्वाभाविक है। नदी प्रदूषण के जो अन्य नुकसान हैं, सो अलग। गंगा की डाल्फिन दुनिया की उन प्रजातियों में है, जो स्वच्छ पानी में ही रहती हैं। अतः प्रदूषण से उनकी मौत का खतरा भी कम नहीं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अपनी एक रिपोर्ट में पाया कि देश के अन्य इलाकों की तुलना में उत्तर प्रदेश, बिहार और प. बंगाल में नदियों के किनारे रहने वाले लोग ज्यादा आसानी से कैंसर की गिरफ्त में आ जाते हैं।

बढ़ती मूर्तियां : बढ़ता संकट

उक्त अध्ययनों के साथ यदि इस आंकड़े को जोड़ दें कि अकेले गंगा में एक साल में कुल 7 करोड़ 90 लाख लोगों ने स्नान किया। अकेले महाराष्ट्र में डेढ़ करोड़ गणेश मूर्तियों का विसर्जन हुआ। ऐसे में बनने वाली मूर्तियों की संख्या साल में दस करोड़ का आंकड़ा छूती हो, तो कोई ताज्जुब नहीं। दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, विश्वकर्मा पूजा और ताजिया नदी में विसर्जन के ये चार मौके होते हैं। भारतीयों के दुनिया भर में फैलने के साथ यह पर्व भी अब दुनियाभर में मनाये जाते हैं। आप चीन में भी दुर्गा पूजा का नजारा देख सकते हैं। जाहिर है कि मूर्तियों की बढ़ती संख्या मूर्ति निर्माण के व्यावसायीकरण का यह एक बड़ा कारण है। इस कारण ही मूर्ति निर्माण का तरीका व इसका विसर्जन आज नदियों, तालाबों और अंततः हमारे जी का जंजाल बन गये हैं।

प्रदूषण नियंत्रण के मार्गदर्शी निर्देश

इसी को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2010 में ही अलग–अलग प्रकार की जलसंरचनाओं में मूर्ति विसर्जन के लिए अलग–अलग मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए थे। इन निर्देशों के मुताबिक मूर्ति विसर्जन से पहले मूर्ति से उतारकर जैविक–अजैविक पदार्थों को अलग–अलग कर अलग–अलग ड्रमों में रखना। वस्त्रों का उतारकर अनाथालयों में पहुंचाना तथा सिंथेटिक पेंट के स्थान पर प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना शामिल है। मूर्ति विसर्जन से पूर्व विसर्जन स्थल पर एक जाल बिछाया जाना चाहिए, ताकि उसके अवशेषों को तुरंत बाहर निकाला जा सके। मूर्ति के अवशेषों को मौके से हटाने की अवधि अलग–अलग जलसंरचनाओं के लिए 24 से 48 घंटे निर्धारित की गई है। कहा गया है कि मूर्ति विसर्जन के स्थान आदि निर्णयों की बाबत नदी प्राधिकरण, जलबोर्ड, सिंचाई विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्थानीय स्वयंसेवी संगठन आदि से पूछा जाना चाहिए। इन्हें शामिल कर कमेटी गठित करने का भी निर्देश है। मूर्ति विसर्जन के मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू कराने के लिए जागृति की जिम्मेदारी राज्य व जिला प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड इकाइयों को सौंपी गई है।

चेतावनी कायम है।

हालांकि इन निर्देशों को सबसे पहले प. बंगाल ने अपनाया। तत्पश्चात् 2011 में महाराष्ट्र ने और 2012 में कर्नाटक ने भी इन्हे लागू किया। महाराष्ट्र के कई नगर निगमों ने प्राकृतिक झील आदि में मूर्ति विसर्जन पर रोक भी लगाई है। यह रोक 100 फीसदी लागू भले ही न हो सके हों, लेकिन जागृति बढ़ी है। कई इलाकों में मूर्तियों के भूसमाधि के भी उदाहरण सामने आये हैं। किंतु दुर्भाग्य है कि अन्य राज्यों ने इस पर अभी तक गौर नहीं किया है। हर साल मूर्तियों की बढ़ती संख्या एक गंभीर चेतावनी है। देश में पानी के प्रदूषण का बढ़ता ग्राफ स्वयंमेव गंभीर चेतावनी है ही। अतः अब चेतना उत्तर प्रदेश के शासन, प्रशासन, समाज और धर्माचार्य सभी को होगा। धीरे–धीरे इस रोक का दायरा बढ़ाकर शामिल भी सभी नदियो को होगा है। अंततः मिलती तो सभी गंगा में ही है।

आस्था टूटने की बात बेमानी

हकीकत यह है कि नदी में विसर्जन को जरूरी बताने वाला उल्लेख शास्त्रों में कहीं नहीं है। अतः मूतियों का विसर्जन नदियों में रोक देने से हमारी आस्था प्रभावित हो न हो, लेकिन नदियों की बीमार होने से हम बीमार, बेकार और लाचार जरूर हो जायेंगे। इस सच को नकारने से काम चलने वाला नहीं। भारतीय संस्कृति की आस्था नदी के साथ मां जैसे व्यवहार व संस्कार में थी। तद्नुसार नदी में मल–मूत्र त्याग, मुंह ध गोना, दातुन–कुल्ला करना, माला फेंकना, कुश्ती लड़ना, बदन मलना, रतिक्रीड़ा करना, तेल मलकर या मैले बदन प्रवेश करना, पहने हुए वस्त्र छोड़ना व जल पर आघात करना पाप है। गंगा रक्षा सूत्र गंगा किनारे झूठ बोलना, बकवाद करना तथा कुदृष्टि डालने को भी पाप मानता है। हमने ये संस्कार छोड़ दिए। परिणामस्वरूप नदियों ने भी अपना व्यवहार छोड़ दिया है। आइये! अपने संस्कार और नदी का व्यवहार वापस लौटायें। इसी से नदी भी बच सकेगी और आस्था भी। ❑

चीनी षड़यंत्र के विरुद्ध स्वदेशी अभियान (मंच की गतिविधियां के दृश्य)

स्वदेशी जागरण मंच (उड़ीसा) सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा चीनी षड़यंत्र और चीनी वस्तुओं का करे बहिकार

चीनी षड़यंत्र और चीनी सामानों का बहिष्कार करें (जानकारी देते हुए मंच के कार्यकर्ता, उड़ीसा)

नागपुर

चीनी वस्तुओं का करें बहिष्कार (मंच के कार्यकर्ता जमशेदपुर)

राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी
(10 नवम्बर 1920 – 14 अक्टूबर 2004)

दत्तोपंत ठेंगड़ी जी (10 नवम्बर, 1920 – 14 अक्टूबर 2004), भारत के राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन, भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक थे। ठेंगडी जी का जन्म 10 नवम्बर 1920 के दिन आर्वी, जिला वर्धा (महाराष्ट्र) में हुआ। स्नातक और विधि स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में रहे।

◆ ◆ ◆

सर्वसमावेशी स्वदेशी

8 जुलाई 2002 को स्वदेशी जागरण मंच द्वारा आयोजित जोधपुर में एक सार्वजनिक सभा में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी आंदोलन के बारे में ऐतिहासिक भाषण दिया था। उस भाषण के कुछ अंश यहां प्रस्तुत हैं . . . . **सं.**

'स्वदेशी जागरण मंच' यह नाम सब लोग जानने लगे हैं। किन्तु इसका ग्रह योग कुछ ऐसा रहा कि इसके स्थापना के पूर्व से ही इसका विरोध होता रहा। मैं बंगाल में गया था, वहां भाषण में कहा था, कि हम स्वदेशी जागरण मंच शुरू करने वाले हैं। प्रेस में भी वह भाषण छपा था, तुरंत कम्युनिस्टों ने प्रतिक्रिया प्रकट की, अरे यह संघ वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, इनको देश और स्वदेशी का क्या पड़ा है, इनको पैसे दिए होंगे उद्योगपतियों ने, कहा होगा कि तुम स्वदेशी का प्रचार करो, विदेशी का बहिष्कार करो और इसके कारण विदेशी माल जब पूरा हट जाएगा, स्वदेशी मार्केट से, तो फिर हम लोगों का विदेशी कॉम्पीटीटर न होने के कारण उपभोक्ताओं का, ग्राहकों का, अनाप–शनाप शोषण करना हमारे लिए संभव होगा, चाहे जितना मुनाफा हम कमा सकेंगे, इसीलिए उद्योपतियों ने इनको पैसा दिया है।

इसके तीसरे ही दिन स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना हुई, उसमें कुछ प्रस्ताव पारित हुए कि आज हम स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना कर रहे हैं, इसका उद्देश्य पूरा होने तक काम करता रहेगा और उसमें एक प्रस्ताव पारित किया कि मार्केट में आने वाली हर वस्तु की लागत कीमत ''कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन' उस पर लिखा जाना चाहिए।

हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया, कि मार्केट में आने वाली कोई भी वस्तु चाहे देशी उद्योगपति की हो, विदेशी उद्योगपति की हो, उसकी 'कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने लागत कीमत' घोषित होनी ही चाहिए। इससे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब घोषित होती है, उस पर लिखी रहती हैं, तो फिर अनाप–शनाप मुनाफा नहीं कमा सकते, हाँ कुछ प्रॉफिट मार्जिन रहनी चाहिए यह तो सभी मानते हैं, प्रॉफिट मार्जिन रीजनेबल होनी चाहिए। लेकिन आज जो होता है कि चार रुपए की चार सौ रुपए में बेची जाती है, ऐसा नहीं हो सकेगा, तो यह हमने प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद कम्युनिस्टों की तूती बंद हो गयी। उनको पता ही नहीं था, कि हमारे शास्त्र में कुछ है, उन्होंने शास्त्र पढ़े ही नहीं थे और इसीलिए वो निन्दा कर रहे थे, किन्तु उनका बोलना बन्द हो गया।

◆ ◆ ◆

स्वदेशी क्या है? उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ कि बात उस समय की है, जिस समय जापान, अमरीका के प्रभाव क्षेत्र में था, आज नहीं है, आज बराबरी का है, लेकिन उस समय प्रभाव में था, उस समय कैलिफोर्निया में बहुत संतरे हुए 'ओरेन्जेस' तो अमरीका ने जापान को कहा, कि आपके यहां महिलाओं को संतरे बहुत पसंद आते हैं, तो हमारे संतरे आपकी मंडी में भेजेंगे, जापान ने कहा कि आपके संतरे भेजने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु अमरीका ने कहा कि नहीं हम भेजने ही वाले हैं, उस समय जापान को मानना पड़ा, जापान की मंडियां अमेरिकन संतरे से भर गई थीं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सभी मंडियों में बहुत संतरे होते हुए भी, एक भी संतरा नहीं बिका पूरे जापान में। जबकि जापानी महिलाओं को संतरे बहुत पसंद हैं फिर भी एक संतरा नहीं बिका इसी का नाम स्वदेशी है।

◆ ◆ ◆

स्वदेशी जागरण मंच चाहता है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। लेकिन विदेशियों का षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे देश की कृषि पर, हमारे देश के एक–एक उद्योग पर विदेशियों का कब्जा हो जाए। अब हमारा कृषि प्रधान देश है। विश्व व्यापार संगठन में सबके लिए एक स्टैण्डर्ड नहीं है। हमारे लिए अलग है, अमरीका के लिए अलग है। अब कृषि की दृष्टि से केवल उदाहरण के लिए बताता हूँ अमरीका के किसानों को जो पहली सब्सिडी मिलती थी, उससे चार गुना सब्सिडी उन्होंने बढ़ाई है। भारत और विकसनशील देशों को अमरीका कहता है तुम अपने यहां सब्सिडी कम करो और आखिर में सब समाप्त करो। अपने किसानों की वे सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को कहा कि सब्सिडी खत्म करो?

◆ ◆ ◆

हमारा उद्देश्य है इस राष्ट्र का निर्माण करना, इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना। जब हम कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो राष्ट्रवाद की कसौटी में राष्ट्र के उत्कर्ष की हमारी दृष्टि देश का सबसे छोटा आदमी जो सबसे गरीब, गयाबीता है, उसके उत्कर्ष को हम राष्ट्र का उत्कर्ष मानते हैं। राष्ट्र के उत्कर्ष की यही कसौटी है।

◆ ◆ ◆

चीन और कोरिया की सरकारों ने जब माईकल जैक्सन को इस बिना पर अपने देश में आने नहीं दिया कि उसका शो सांस्कृतिक हमला है, तब वे अपनी स्वदेशी भावना ही जाहिर कर रहे थे। यह घटना यह भी जताती है कि 'स्वदेशी' भौतिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह एक व्यापक आधार वाली विचारधारा है जो राष्ट्रीय जीवन के तमाम पहलुओं को खुद में समेटती है।

तो स्वदेशी, यह भावना है, केवल आर्थिक बात नहीं है, और इस भावना के आधार पर ही स्वदेश ऊपर जा सकता है। ''देशप्रेम की साकार और व्यावहारिक अभिव्यक्ति है स्वदेशी।'' देश प्रेम का अर्थ दुनिया से अलग–थलग रहना नहीं है, खासकर हमारी परंपरा में, जो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आधार पर टिकी है। इसके मुताबिक, मानवीय चेतना के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद का ही विस्तार है।

◆ ◆ ◆

मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत के देशभक्त अंतर्राष्ट्रीयतावाद के खिलाफ नहीं हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का उनका आग्रह, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विरुद्ध नहीं जाता है, बशर्ते उसका आधार समानता हो और उसमें हर देश के स्वाभिमान का सम्मान किया जाए। भूमंडलीकरण के पैरोकारों से उनका विरोध अलग और ज्यादा ठोस सवाल पर है। ❑

(पृष्ठ 21 का शेष. . .)

अब प्रवासी भारतीयों. . .

किया है। यह बराबर कहा गया है कि आईटी, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, वित्त के क्षेत्र में दुनिया में भारतीय प्रवासी सबसे आगे हैं। उल्लेखनीय है कि चीन सहित दुनिया के अधिकांश विकसित और विकासशील देशों का नया जनसांख्यिकी परिदृश्य कामकाजी आबादी में अपरिहार्य गिरावट का स्पष्ट संकेत दे रहा है और इन देशों में कामकाजी आबादी कम हो गई है। जबकि भारत की जनसंख्या में करीब पचास प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा उन लोगों का है, जिनकी उम्र पच्चीस साल से कम है। ऐसे में भारत की युवा आबादी मानव संसाधन के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अपनी सहभागिता बढ़ाकर भारत की ओर अमूल्य विदेशी मुद्रा भेजकर देश के लिए आर्थिक वरदान सिद्ध हो सकती है।

यदि हम चाहते हैं कि प्रवासी भारतीय भारत की ओर विदेशी मुद्रा के प्रवाह में भारी वृद्धि करें, तो हमें ऐसी नीतियां बनानी होंगी, जिससे प्रवासियों के प्रति सांस्कृतिक सहयोग और स्नेह बढ़े। यदि हम चाहते हैं कि अब विदेश जाने वाली भारतीय प्रतिभाएं विदेशों में कमाई करके भारत की ओर विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ाएं, तो हमें प्रतिभाओं को तराशने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। देश के शैक्षणिक संस्थानों में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वाले युवाओं को वैश्विक रोजगार बाजार की नई जरूरतों के मुताबिक सुसज्जित करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केंद्र सरकार ऐसी नीतियों को लागू करने को पूरी तरह तैयार है।

देश की जनसंख्या में करीब पचास प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा उन लोगों का है, जिनकी उम्र पच्चीस साल से कम है। ऐसे में युवा आबादी मानव संसाधन के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में अपनी सहभागिता बढ़ाकर अमूल्य विदेशी मुद्रा भारत भेजकर देश के लिए आर्थिक वरदान सिद्ध हो सकती है। ❑